

ब्रह्मावर्त पीजी कॉलेज मंथना कानपुर

राजनीति विज्ञान विभाग

द्वारा

तुलनात्मक शासन और राजनीति

(UK, US, SWITZERLAND AND CHINA)

बीए तृतीय वर्ष

(सेमेस्टर 5)

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर

के

राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रमानुसार

परीक्षोपयोगी प्रश्न-उत्तर सहित

2026



छात्र/छात्राओं के विशेष हित

को ध्यान में रखते हुए तैयार कर प्रेषित

द्वारा

राजनीति विज्ञान विभाग

पाठ्यक्रम के सभी 30 लघु उत्तरीय प्रश्नों के आदर्श, ठोस और परीक्षोपयोगी उत्तर (प्रत्येक न्यूनतम 125 शब्दों में) प्रस्तुत हैं:

Unit I: Nature, Scope & Utility of Comparative Politics

1. तुलनात्मक राजनीति का क्या अर्थ है?

उत्तर:

तुलनात्मक राजनीति (Comparative Politics) राजनीति विज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गतिशील शाखा है। इसका तात्पर्य विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों, उनकी संस्थाओं, प्रक्रियाओं, व्यवहारों और राजनीतिक संस्कृतियों का व्यवस्थित एवं तुलनात्मक अध्ययन करने से है। साधारण शब्दों में, जब हम दो या दो से अधिक राज्यों की राजनीतिक व्यवस्थाओं (जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, स्विट्जरलैंड आदि) की समानताओं और विषमताओं का विश्लेषण करते हैं, तो इसे तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है।

पारंपरिक रूप से तुलनात्मक राजनीति केवल औपचारिक और संवैधानिक संरचनाओं (जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) के अध्ययन तक सीमित थी। परंतु आधुनिक समय में इसका दायरा व्यापक हो गया है। अब इसमें गैर-औपचारिक घटकों; जैसे दबाव समूह, राजनीतिक दल, जनमत, राजनीतिक संस्कृति, और मतदान व्यवहार का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राजनीतिक घटनाओं के पीछे के कारणों को समझना, राजनीतिक प्रवृत्तियों की पहचान करना और सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करना है, ताकि किसी विशेष

राजनीतिक व्यवस्था की प्रभावशीलता और व्यवहार्यता का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जा सके।

2. तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति (Nature) की संक्षेप में विवेचना कीजिए।

उत्तर:

तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक है। इसे मुख्यतः दो दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है: पारंपरिक दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण।

पारंपरिक दृष्टिकोण के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति मुख्यतः वर्णनात्मक, कानूनी और संस्थागत थी। इसमें केवल पश्चिमी देशों के संविधानों और उनके कानूनी ढांचे की तुलना की जाती थी। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद behavioral revolution (व्यवहारवादी क्रांति) के कारण इसकी प्रकृति में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। आधुनिक दृष्टिकोण के तहत यह अधिक वैज्ञानिक, अंतर-विषयक (Interdisciplinary), और empirical (अनुभवजन्य) हो गई है।

आज तुलनात्मक राजनीति केवल 'क्या होना चाहिए' (normative) पर बल न देकर 'क्या है' (empirical) का अध्ययन करती है। यह राजनीतिक संस्थाओं के साथ-साथ उन गैर-राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक कारकों का भी विश्लेषण करती है जो राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इसमें सांख्यिकी, सर्वेक्षण, और तुलनात्मक पद्धतियों का उपयोग करके सामान्यीकरण (Generalization) और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता

है। संक्षेप में, इसकी प्रकृति गत्यात्मक और वैज्ञानिक शोध पर आधारित है।

3. तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के मुख्य क्षेत्र/विषय विस्तार (Scope) क्या हैं?

उत्तर:

तुलनात्मक राजनीति का विषय-क्षेत्र (Scope) अत्यंत व्यापक और बहुआयामी है। आधुनिक काल में इसके अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य विषयों को शामिल किया जाता है:

1. राजनीतिक संरचनाएं और संस्थाएं: विभिन्न देशों की सरकार के अंगों—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—की तुलनात्मक संरचना और उनके कार्य।

2. संविधान और राजनीतिक प्रणालियां: एकात्मक बनाम संघात्मक, और संसदात्मक बनाम अध्यक्षीय व्यवस्थाओं का अध्ययन।

3. गैर-सरकारी और राजनीतिक प्रक्रियाएं: राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह, और चुनाव प्रणालियों की भूमिका।

4. राजनीतिक व्यवहार और संस्कृति: नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता, मतदान व्यवहार, राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संस्कृति।

5. विकासशील और नव-स्वतंत्र देश: विकासशील समाजों (Third World) में वि-उपनिवेशीकरण, राजनीतिक विकास, और आधुनिकीकरण का अध्ययन।

6. राजनीतिक गतिशीलता और परिवर्तन: क्रांति, राजनीतिक अस्थिरता, और लोकतंत्रीकरण की प्रक्रियाएं।

इस प्रकार, तुलनात्मक राजनीति का दायरा औपचारिक सरकारी तंत्रों से लेकर मानव के राजनीतिक व्यवहार और सामाजिक-आर्थिक परिवेश तक फैला हुआ है।

4. तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के अध्ययन की क्या उपयोगिता है?

उत्तर:

तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के अध्ययन की उपयोगिता शैक्षणिक, व्यावहारिक और नीति-निर्माण के स्तर पर अत्यधिक महत्वपूर्ण है:

ज्ञान का विस्तार: यह विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को अपने देश के अलावा विश्व की अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं (जैसे यू.के., यू.एस.ए., स्विट्जरलैंड, चीन) की कार्यप्रणाली को गहराई से समझने का अवसर प्रदान करती है।

वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण: विभिन्न देशों के राजनीतिक अनुभवों की तुलना करके राजनीति विज्ञान में सर्वमान्य नियमों और सिद्धांतों का निर्माण संभव हो पाता है।

अपनी व्यवस्था का बेहतर मूल्यांकन: अन्य प्रणालियों के गुणों और दोषों की तुलना करके हम अपनी देश की राजनीतिक प्रणाली की कमियों को पहचान सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं।

नीति-निर्माण में सहायक: शासन चला रहे नीति-निर्माताओं को यह समझने में मदद मिलती है कि कौन-सी नीतियां या संवैधानिक प्रावधान किस प्रकार के सामाजिक परिवेश में सफल या असफल होते हैं।

विश्व बंधुत्व और समझ: यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक विविधता के प्रति समझ और सहनशीलता को बढ़ावा देती है।

Unit II: Capitalism & Liberal Democracy

5. पूंजीवाद (Capitalism) से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

पूंजीवाद (Capitalism) एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधनों पर मुख्यतः निजी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं का स्वामित्व होता है। इस व्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां राज्य के नियंत्रण के बजाय लाभ कमाने के उद्देश्य और मुक्त बाजार (Free Market) की शक्तियों द्वारा संचालित होती हैं।

पूंजीवाद की मुख्य विशेषताओं में निजी संपत्ति का अधिकार, व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा, बाजार में स्वतंत्र प्रतियोगिता (Competition), और उपभोक्ता की सार्वभौमिकता शामिल हैं। इस प्रणाली में मूल्य निर्धारण मुख्य रूप से 'मांग और आपूर्ति' (Demand and Supply) के सिद्धांत द्वारा होता है। पूंजीवाद में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम (Laissez-faire) होता है, और राज्य का कार्य मुख्य रूप से कानून-व्यवस्था बनाए रखना और अनुबंधों को लागू करना होता है।

यद्यपि पूंजीवाद ने नवाचार, तकनीकी प्रगति और धन सृजन में अभूतपूर्व योगदान दिया है, फिर भी इसकी आलोचना आर्थिक असमानता, वर्ग-विभाजन (अमीर और गरीब का अंतर) और श्रमिकों के शोषण के आधार पर की जाती है।

6. उदारवादी लोकतंत्र (Liberal Democracy) की मुख्य विशेषताएं बताइए।

उत्तर:

उदारवादी लोकतंत्र (Liberal Democracy) शासन का वह रूप है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के शासन और सीमित सरकार के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें लोकतंत्र के प्रक्रियात्मक पहलुओं (जैसे चुनाव) के साथ-साथ उदारवादी मूल्यों का समावेश होता है।

इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता: नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, संगठन बनाने और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे बुनियादी अधिकार प्राप्त होते हैं, जिन्हें राज्य आसानी से छीन नहीं सकता।
2. निष्पक्ष एवं आवधिक चुनाव: वयस्क मताधिकार के आधार पर नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं।
3. विधि का शासन (Rule of Law): कानून के समक्ष सभी नागरिक और शासक समान होते हैं।
4. स्वतंत्र न्यायपालिका: न्यायपालिका सरकार के अन्य अंगों से स्वतंत्र रहकर संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है।
5. बहुदलीय प्रणाली: राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए एक से अधिक राजनीतिक दलों में खुली प्रतिस्पर्धा होती है।
6. सीमित सरकार: सरकार की शक्तियां संविधान द्वारा सीमित होती हैं ताकि वह निरंकुश न बन सके।

7. पूंजीवाद और उदारवादी लोकतंत्र के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

पूंजीवाद और उदारवादी लोकतंत्र के बीच एक गहरा, जटिल और ऐतिहासिक संबंध रहा है। आधुनिक युग में दोनों अवधारणाएं पश्चिमी समाजों में एक साथ विकसित हुईं और एक-दूसरे की पूरक मानी जाती हैं।

पूंजीवाद निजी संपत्ति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप पर बल देता है। यही मूल्य उदारवादी लोकतंत्र का भी आधार हैं, जो व्यक्तिगत अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सीमित सरकार की वकालत करता है। पूंजीवाद द्वारा निर्मित आर्थिक स्वतंत्रता ने मध्यवर्ग (Bourgeoisie) को जन्म दिया, जिसने निरंकुश राजशाही के विरुद्ध संघर्ष करके उदारवादी लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना की।

हालांकि, दोनों के बीच एक अंतर्निहित तनाव भी है। पूंजीवाद स्वभावतः आर्थिक असमानता पैदा करता है (क्योंकि धन कुछ ही हाथों में केंद्रित हो जाता है), जबकि उदारवादी लोकतंत्र सभी नागरिकों को राजनीतिक समानता (एक व्यक्ति, एक वोट) प्रदान करता है। इस तनाव को संतुलित करने के लिए आधुनिक उदारवादी लोकतांत्रिक राज्यों ने 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) की अवधारणा को अपनाया है, ताकि पूंजीवादी ढाँचे के भीतर सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।

8. कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की अवधारणा क्या है?

उत्तर:

कल्याणकारी राज्य (Welfare State) से तात्पर्य एक ऐसी राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था से है जिसमें राज्य केवल शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं रहता (जैसा कि पारम्परिक 'पुलिस राज्य' में होता था), बल्कि अपने नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण की जिम्मेदारी भी उठाता है।

यह अवधारणा पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का एक मध्य मार्ग है। इसमें निजी संपत्ति और बाजार अर्थव्यवस्था को बनाए रखते हुए, राज्य करों के माध्यम से संसाधनों का पुनर्वितरण करता है। कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी देना, गरीबी को कम करना, और सभी नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वृद्धावस्था पेंशन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्रों ने पूंजीवाद के नकारात्मक प्रभावों (जैसे असमानता और बेरोजगारी) से निपटने के लिए कल्याणकारी राज्य के मॉडल को अपनाया। इसका लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराना है।

Unit III: Socialism & Socialist State

9. समाजवाद (Socialism) का क्या अर्थ है?

उत्तर:

समाजवाद (Socialism) एक ऐसी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारधारा है जो समाज में आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय और सहयोग पर बल देती है। यह पूंजीवाद

के विरोध में विकसित हुई एक प्रणाली है, जो निजी संपत्ति के अत्यधिक संचय और वर्ग-शोषण की आलोचना करती है।

समाजवाद के अनुसार, उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रमुख साधनों (जैसे भूमि, कारखाने, बैंक) पर व्यक्तिगत मालिकाना हक के बजाय संपूर्ण समाज या राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण होना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ (Profit) के लिए काम करने के स्थान पर 'सामूहिक हित' या 'सामाजिक कल्याण' के लिए उत्पादन करना है।

समाजवाद में संसाधनों का वितरण "प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार भुगतान" के आधार पर करने की बात कही जाती है। समाजवाद के कई रूप हैं—जैसे लोकतांत्रिक समाजवाद, कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद (साम्यवाद), और फेबियनवाद—परंतु इन सभी का अंतिम लक्ष्य एक शोषण-मुक्त और समतावादी समाज का निर्माण करना है।

10. समाजवादी राज्य (Socialist State) की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए।

उत्तर:

समाजवादी राज्य की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक/राज्य का स्वामित्व:

समाजवादी राज्य में आर्थिक संसाधनों, प्राकृतिक संपदा और प्रमुख उद्योगों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, बल्कि उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। उत्पादन और वितरण की संपूर्ण प्रक्रिया राज्य द्वारा संचालित होती है ताकि आर्थिक संसाधनों का उपयोग

व्यक्तिगत लाभ के लिए न होकर समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए किया जा सके।

2. केंद्रीयकृत आर्थिक नियोजन (Centralized Economic Planning):

समाजवादी राज्य में बाजार की मुक्त शक्तियों (मांग और आपूर्ति) के बजाय राज्य की केंद्रीय नियोजन संस्था द्वारा अर्थव्यवस्था को दिशा दी जाती है। राज्य यह तय करता है कि किस वस्तु का कितना उत्पादन होगा, उसकी कीमत क्या होगी और उसका वितरण कैसे होगा। इसका उद्देश्य समाज में आर्थिक विषमता को समाप्त करना और सभी नागरिकों को रोजगार व बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना होता है।

11. पूंजीवादी राज्य और समाजवादी राज्य के बीच दो अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

पूंजीवादी राज्य और समाजवादी राज्य के बीच दो मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं:

1. स्वामित्व का आधार (Ownership of Resources):

पूंजीवादी राज्य: इसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी व्यक्तियों या कंपनियों का स्वामित्व होता है। आर्थिक गतिविधियां निजी लाभ (Profit Motivation) से प्रेरित होती हैं।

समाजवादी राज्य: इसमें संसाधनों पर राज्य या समाज का सार्वजनिक स्वामित्व होता है। आर्थिक गतिविधियों का संचालन सार्वजनिक कल्याण और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से किया जाता है।

2. आर्थिक नियंत्रण की प्रणाली (Economic Control):

पूँजीवादी राज्य: इसमें 'मुक्त बाजार' (Free Market) की व्यवस्था होती है, जहां वस्तुओं की कीमतें मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होती हैं और राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है।

समाजवादी राज्य: इसमें राज्य द्वारा संचालित 'केंद्रीयकृत नियोजन' (Centralized Planning) होता है। उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण का पूरा नियंत्रण राज्य के हाथों में होता है।

12. "उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व" से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

"उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व" (Public Ownership of Means of Production) समाजवाद और साम्यवाद की मूल अवधारणा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि समाज के आर्थिक संसाधनों—जैसे भूमि, कारखाने, खनिज पदार्थ, परिवहन के साधन, और वित्तीय संस्थान—पर किसी निजी व्यक्ति या उद्योगपति का अधिकार नहीं होगा, बल्कि पूरे समाज या उसकी ओर से राज्य का मालिकाना हक होगा। पूँजीवादी व्यवस्था में निजी मालिक मजदूरों के श्रम से अधिशेष मूल्य (Surplus Value) प्राप्त करके अपना व्यक्तिगत मुनाफा बढ़ाते हैं, जिससे समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती है। इसके विपरीत, सार्वजनिक स्वामित्व का उद्देश्य इस निजी लाभ की प्रवृत्ति को समाप्त करना है।

जब उत्पादन के साधनों पर जनता/राज्य का नियंत्रण होता है, तो उत्पादित धन और संसाधनों का उपयोग व्यक्तिगत

तिजोरियां भरने के बजाय स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक सुरक्षा जैसी जन-कल्याणकारी योजनाओं में किया जाता है, जिससे आर्थिक समानता स्थापित होती है।

Unit IV: Decolonization & Developing World

13. वि-उपनिवेशीकरण (Decolonization) का क्या अर्थ है?

उत्तर:

वि-उपनिवेशीकरण (Decolonization) वह ऐतिहासिक और राजनीतिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई औपनिवेशिक शक्ति (जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल) अपने उपनिवेशों पर से अपना राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक नियंत्रण समाप्त करती है, और वे उपनिवेश स्वतंत्र व संप्रभु राष्ट्र के रूप में उभरते हैं।

यह प्रक्रिया मुख्यतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेजी से शुरू हुई, जिसके तहत एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के दर्जनों देश विदेशी शासन की दास्तां से मुक्त हुए (जैसे 1947 में भारत की स्वतंत्रता)। वि-उपनिवेशीकरण केवल राजनीतिक स्वतंत्रता या विदेशी सेना की वापसी तक सीमित नहीं है; इसका अर्थ औपनिवेशिक तंत्र द्वारा निर्मित प्रशासनिक, कानूनी और आर्थिक संरचनाओं का पुनर्गठन करना भी है।

हालांकि, कई मामलों में राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के बाद भी पूर्व-औपनिवेशिक शक्तियां आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से इन देशों को प्रभावित करती रहती हैं, जिसे नव-उपनिवेशवाद (Neo-colonialism) कहा जाता है।

14. विकासशील समाजों (Developing World) में राज्य की क्या भूमिका है?

उत्तर:

विकासशील समाजों (तृतीय विश्व के देशों) में राज्य की भूमिका विकसित पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत अधिक व्यापक, जटिल और निर्णायक होती है। औपनिवेशिक शोषण से मुक्त होने के बाद इन राज्यों के सामने कई चुनौतियां थीं, जिन्हें दूर करने में राज्य केंद्र बिंदु रहा है:

1. आर्थिक विकास और राष्ट्र-निर्माण: राज्य केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्था नहीं है, बल्कि वह आर्थिक विकास का मुख्य चालक है। योजनाबद्ध विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण राज्य द्वारा किया जाता है।

2. सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण: जातिवाद, गरीबी, अशिक्षा और पारंपरिक रूढ़ियों को समाप्त कर एक आधुनिक, समतावादी समाज बनाने का दायित्व राज्य पर होता है।

3. राष्ट्रीय एकीकरण: विविध जातीय, भाषाई और धार्मिक समूहों वाले समाजों में एकता और स्थिरता बनाए रखना राज्य का प्राथमिक कार्य है।

4. जनकल्याण और गरीबी उन्मूलन: स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें प्रदान करने में राज्य अग्रणी भूमिका निभाता है।

15. नव-उपनिवेशवाद (Neo-colonialism) से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

नव-उपनिवेशवाद (Neo-colonialism) साम्राज्यवाद का एक आधुनिक और प्रत्यक्ष रहित (Indirect) रूप है। इसमें कोई विकसित देश या पूर्व-औपनिवेशिक शक्ति किसी संप्रभु और स्वतंत्र देश पर प्रत्यक्ष सैन्य या राजनीतिक नियंत्रण किए बिना, अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक, वित्तीय, सांस्कृतिक और राजनीतिक साधनों के माध्यम से अपना प्रभुत्व बनाए रखती है।

इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अफ्रीका के नेता क्वामे नक्रूमा ने किया था। नव-उपनिवेशवाद में विकसित देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs), अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं (जैसे IMF, विश्व बैंक), और असमान व्यापार शर्तों का उपयोग करके विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं का दोहन करते हैं।

यद्यपि विकासशील देश कागजों पर स्वतंत्र और संप्रभु होते हैं, लेकिन उनकी नीतियां बाहरी शक्तियों के आर्थिक हितों से प्रभावित होती हैं। इस प्रकार, नव-उपनिवेशीकरण प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद के समाप्त होने के बाद भी विकासशील दुनिया की वास्तविक स्वतंत्रता और आर्थिक आत्मनिर्भरता में एक बड़ी बाधा है।

Unit V: UK Political System

16. ब्रिटेन के संविधान की मुख्य विशेषताएं संक्षेप में लिखिए।

उत्तर:

ब्रिटेन का संविधान विश्व के सबसे प्राचीन और अनूठे संविधानों में से एक है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. अअलिखित संविधान (Unwritten Constitution): ब्रिटिश संविधान भारत या अमेरिका की तरह किसी एक दस्तावेज के रूप में लिखा हुआ नहीं है। इसका विकास सदियों की परंपराओं, अभिसमयों (Conventions), न्यायिक निर्णयों और संविधियों (Statutes) के माध्यम से हुआ है।

2. लचीला संविधान (Flexible Constitution): इसमें संशोधन की प्रक्रिया बहुत सरल है। साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं है; संसद सामान्य बहुमत से संशोधन कर सकती है।

3. संसदीय सर्वोच्चता (Parliamentary Sovereignty): ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। वह किसी भी कानून का निर्माण या निरसन कर सकती है, और न्यायपालिका उसे अवैध घोषित नहीं कर सकती।

4. संसदीय प्रजातंत्र: राजा केवल नाममात्र का अध्यक्ष (Monarch) होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती है।

5. एकात्मक शासन (Unitary System): संपूर्ण देश की सत्ता लंदन स्थित केंद्र सरकार में निहित है।

17. ब्रिटेन में "विधि का शासन" (Rule of Law) क्या है?

उत्तर:

ब्रिटेन के संविधान का एक मुख्य स्तंभ "विधि का शासन" (Rule of Law) है, जिसकी विस्तृत व्याख्या प्रसिद्ध ब्रिटिश कानूनविद ए.वी. डायसी (A.V. Dicey) ने की थी। डायसी के अनुसार, विधि के शासन के तीन मुख्य अर्थ हैं:

1. विधि की सर्वोच्चता (Supremacy of Law): किसी भी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जा सकता। राज्य की स्वेच्छाचारी शक्ति या निरंकुशता का अभाव होता है।

2. कानून के समक्ष समानता (Equality before Law): प्रधानमंत्री से लेकर एक सामान्य नागरिक तक, सभी व्यक्ति देश के साधारण कानूनों के अधीन हैं और उनके मुकदमे साधारण अदालतों में ही चलाए जाते हैं। (कोई विशेष प्रशासनिक अदालतें नहीं हैं)।

3. संविधान सामान्य विधि का परिणाम है: नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताएं किसी दस्तावेज द्वारा दी गई देन नहीं हैं, बल्कि वे न्यायालयों द्वारा दिए गए न्यायिक निर्णयों का परिणाम हैं।

संक्षेप में, यह सिद्धांत स्थापित करता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।

18. ब्रिटेन में "संसद की सर्वोच्चता" (Supremacy of Parliament) से क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता "संसद की सर्वोच्चता" (Sovereignty of Parliament) है। इसका अर्थ यह है कि ब्रिटिश संसद कानूनी रूप से असीमित और निरंकुश शक्तियों की स्वामी है।

इसे तीन कानूनी पहलुओं द्वारा समझा जा सकता है:

1. संसदीय कानून बनाने की शक्ति सीमाहीन है: ब्रिटिश संसद कानूनी रूप से किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, पुराने कानून को बदल सकती है या समाप्त कर सकती है।

है। जैसा कि डी लोलमे ने कहा था, "ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है।"

2. कोई अन्य संस्था संसद के कानून को रद्द नहीं कर सकती: अमेरिका या भारत की तरह ब्रिटेन में न्यायपालिका के पास 'न्यायिक पुनरावलोकन' (Judicial Review) की शक्ति नहीं है। न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते।

3. मौलिक और साधारण कानून में कोई अंतर नहीं: संसद सामान्य कानूनी प्रक्रिया द्वारा ही संवैधानिक बदलाव कर सकती है।

19. ब्रिटिश न्यायपालिका की स्वतंत्रता की स्थिति स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

ब्रिटेन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता लंबे समय से अभिसमयों और विधियों द्वारा संरक्षित रही है, और 'संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005' (Constitutional Reform Act 2005) के बाद इसे और भी अधिक सुदृढ़ किया गया है।

2005 के अधिनियम से पहले, लॉर्ड चांसलर का पद कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का हिस्सा हुआ करता था, जो शक्तियों के पृथक्करण के खिलाफ था। इस अधिनियम ने लॉर्ड चांसलर की न्यायिक शक्तियों को समाप्त कर दिया और 2009 में यू.के. के एक पृथक और स्वतंत्र 'सर्वोच्च न्यायालय' (Supreme Court of the UK) की स्थापना की।

ब्रिटिश न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त है; उन्हें केवल संसद के दोनों सदनों के प्रस्ताव पर ही हटाया जा सकता है। उनके वेतन सुरक्षित हैं। हालांकि, ब्रिटिश न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन वह 'सर्वोच्च' नहीं है क्योंकि ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता है। न्यायालय संसद के कानूनों की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन उन्हें असंवैधानिक घोषित करके रद्द नहीं कर सकते।

Unit VI: USA Political System

20. अमेरिकी संविधान में "शक्ति पृथक्करण" (Separation of Powers) का सिद्धांत क्या है?

उत्तर:

अमेरिकी संविधान का मुख्य आधार फ्रांस के विचारक मोंटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित "शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत" (Theory of Separation of Powers) है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार को निरंकुश होने से रोकना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना है।

अमेरिकी संविधान के प्रथम तीन अनुच्छेदों में सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है:

अनुच्छेद I: समस्त विधायी (कानून बनाने की) शक्तियां कांग्रेस (संसद) में निहित की गई हैं।

अनुच्छेद II: समस्त कार्यपालिका (कानून लागू करने की) शक्तियां राष्ट्रपति में निहित की गई हैं।

अनुच्छेद III: समस्त न्यायिक शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय और निचले न्यायालयों में निहित हैं।

इसके तहत कोई भी अंग दूसरे अंग के कार्यों में सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राष्ट्रपति कांग्रेस का सदस्य नहीं

होता और न ही वह कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है। इस प्रकार, अमेरिका में अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है।

21. "नियंत्रण एवं संतुलन" (Checks and Balances) के सिद्धांत को संक्षेप में समझाए।

उत्तर:

अमेरिकी संविधान में "शक्ति पृथक्करण" को कठोरता से लागू करने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि सरकार का कोई भी अंग पूरी तरह से निरंकुश न बन जाए। इसके लिए "नियंत्रण एवं संतुलन" (Checks and Balances) का सिद्धांत अपनाया गया है।

इस सिद्धांत के तहत प्रत्येक अंग के पास दूसरे अंगों को नियंत्रित करने और संतुलित रखने की कुछ शक्तियां हैं:

1. राष्ट्रपति पर नियंत्रण: राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली महत्वपूर्ण नियुक्तियों और संधि-समझौतों को सीनेट (कांग्रेस का उच्च सदन) से स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। कांग्रेस राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment) चला सकती है।

2. कांग्रेस पर नियंत्रण: कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति 'वीटो' (Veto) का प्रयोग कर सकता है।

3. न्यायपालिका द्वारा संतुलन: सर्वोच्च न्यायालय 'न्यायिक पुनरावलोकन' की शक्ति के माध्यम से कांग्रेस के कानूनों और राष्ट्रपति के आदेशों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। वहीं, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की सहमति से होती है।

22. अमेरिका में "न्यायिक पुनरावलोकन" (Judicial Review) क्या है?

उत्तर:

अमेरिका में "न्यायिक पुनरावलोकन" (Judicial Review) सर्वोच्च न्यायालय की वह असाधारण शक्ति है, जिसके तहत वह कांग्रेस (विधायिका) द्वारा बनाए गए कानूनों तथा राष्ट्रपति (कार्यपालिका) द्वारा जारी किए गए आदेशों की संवैधानिक वैधता की जांच करता है।

यदि सर्वोच्च न्यायालय यह पाता है कि कोई कानून या आदेश संविधान के प्रावधानों या "कानून की उचित प्रक्रिया" (Due Process of Law) का उल्लंघन करता है, तो वह उसे 'असंवैधानिक' (Unconstitutional) और शून्य घोषित कर रद्द कर सकता है।

यद्यपि अमेरिकी संविधान में 'न्यायिक पुनरावलोकन' शब्द का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने 1803 के ऐतिहासिक मार्बरी बनाम मेडिसन (Marbury v. Madison) मामले में इस शक्ति को प्रतिपादित किया था। इसके माध्यम से अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम संरक्षक और व्याख्याकार बन गया है, जिससे वह अत्यधिक शक्तिशाली संस्था बन गया है।

23. अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

उत्तर:

अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक शासकों में से एक है। वह राज्य (State) का प्रमुख और

सरकार (Government) का प्रमुख दोनों होता है। उसकी शक्तियों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है:

1. कार्यपालिका शक्तियां: वह देश के सभी कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। वह मंत्रियों (कैबिनेट सचिवों), राजदूतों और न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति (Commander-in-Chief) होता है।

2. विधायी शक्तियां: यद्यपि वह कांग्रेस का भाग नहीं है, फिर भी वह कांग्रेस को 'स्टेट ऑफ द यूनियन' संदेश भेजकर कानून बनाने का सुझाव दे सकता है। उसे कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर 'वीटो' (Pocket & Suspensory Veto) की शक्ति प्राप्त है।

3. कूटनीतिक शक्तियां: वह विदेश नीति का निर्धारण करता है, विदेशी सरकारों को मान्यता देता है और अंतर्राष्ट्रीय संधियां करता है।

4. न्यायिक शक्तियां: वह क्षमादान (Pardon) दे सकता है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नामित करता है।

Unit VII: China Political System

24. चीन की राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

उत्तर:

चीन (जनवादी गणराज्य चीन) की राजनीतिक व्यवस्था एक-दलीय शासन और साम्यवादी विचारधारा पर आधारित है। 1982 के चीनी संविधान के अनुसार इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. साम्यवादी दल का एकाधिकार: चीन में बहुदलीय लोकतंत्र नहीं है। संविधान के अनुसार चीनी साम्यवादी दल (CPC) का नेतृत्व सर्वोपरि है।

2. संसदीय एवं अध्यक्षतात्मक का सम्मिश्रण (आभासी): राष्ट्रीय जन कांग्रेस (NPC) देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, लेकिन वास्तव में यह पार्टी के निर्णयों पर मुहर लगाने वाली संस्था है।

3. जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही: संविधान चीन को श्रमिकों और किसानों के गठबंधन पर आधारित "जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही" वाला समाजवादी राज्य घोषित करता है।

4. लोकतांत्रिक केंद्रवाद (Democratic Centralism): निर्णय लेने में पार्टी और सरकार के भीतर 'लोकतांत्रिक केंद्रवाद' के सिद्धांत का पालन किया जाता है।

5. एकात्मक राज्य: चीन एक विशाल एकात्मक राज्य है, जहां केंद्रीय सरकार का राज्यों/प्रांतों पर पूर्ण नियंत्रण होता है।

25. चीन के साम्यवादी दल (Communist Party of China) की भूमिका संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

चीनी साम्यवादी दल (CPC) चीन की राजनीतिक व्यवस्था का हृदय और वास्तविक सत्ता का केंद्र है। चीन में "दल और सरकार" के बीच की रेखाएं बहुत धुंधली हैं, क्योंकि दल ही राज्य का संचालन करता है।

चीन के संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि देश की शासन व्यवस्था का नेतृत्व साम्यवादी दल

करेगा। सरकार के सभी महत्वपूर्ण पदों (जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख) पर पार्टी के वरिष्ठ नेता ही आसीन होते हैं।

दल की संरचना पिरामिड जैसी है, जिसके शीर्ष पर 'पॉलीटब्यूरो' (Politburo) और उसकी 'स्थायी समिति' (Standing Committee) होती है। पार्टी का महासचिव (वर्तमान में शी जिनपिंग) ही देश का सर्वोच्च नेता होता है। नीतियां सरकार या संसद (NPC) में नहीं, बल्कि साम्यवादी दल की बैठकों में तय होती हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और सशस्त्र बल (PLA) सभी साम्यवादी दल के दिशा-निर्देशों के तहत कार्य करते हैं।

26. "एक देश, दो व्यवस्थाएं" (One Country, Two Systems) की नीति क्या है?

उत्तर:

"एक देश, दो व्यवस्थाएं" (One Country, Two Systems) चीन की एक अनूठी संवैधानिक और राजनीतिक अवधारणा है, जिसे 1980 के दशक में चीन के शीर्ष नेता डेंग शियाओपिंग (Deng Xiaoping) ने प्रतिपादित किया था।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य हांगकांग और मकाऊ जैसे क्षेत्रों का चीन में पुनरेकीकरण करना था, जो क्रमशः ब्रिटेन और पुर्तगाल के औपनिवेशिक नियंत्रण में थे। इस नीति के तहत यह प्रावधान किया गया कि:

एक देश: हांगकांग और मकाऊ चीन का अभिन्न हिस्सा होंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की संप्रभुता को स्वीकार करेंगे।

दो व्यवस्थाएं: मुख्य भूमि चीन में जहां समाजवाद और साम्यवादी दल का शासन रहेगा, वहीं हांगकांग और मकाऊ को 50 वर्षों के लिए अपनी पूंजीवादी व्यवस्था, अपनी कानूनी प्रणाली, और उच्च स्तर की स्वायत्तता (Autonomy) बनाए रखने की छूट होगी।

यह व्यवस्था 1997 में हांगकांग और 1999 में मकाऊ के हस्तांतरण पर लागू की गई।

Unit VIII: Switzerland Political System

27. स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका (Plural Executive / Federal Council) का क्या अर्थ है?

उत्तर:

स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था की एक सबसे अनूठी विशेषता उसकी "बहुल कार्यपालिका" (Plural Executive) है, जिसे 'संघीय परिषद' (Federal Council) कहा जाता है। दुनिया के अधिकांश देशों में कार्यपालिका का प्रमुख एक व्यक्ति होता है (जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति या भारत में प्रधानमंत्री)। इसके विपरीत, स्विट्जरलैंड में राज्य और सरकार का प्रमुख किसी एक व्यक्ति को न बनाकर, 7 सदस्यों वाली एक समिति (Federal Council) को बनाया गया है।

इन सभी 7 सदस्यों की शक्तियां और अधिकार बिल्कुल समान होते हैं। इनमें से एक सदस्य को केवल एक वर्ष के लिए 'संघीय राष्ट्रपति' (President of the Confederation) चुना जाता है, लेकिन वह अन्य सदस्यों का बॉस नहीं होता; वह केवल बैठकों की अध्यक्षता करता है और औपचारिक कार्यों को निपटाता है। यह व्यवस्था

व्यक्तिवाद या तानाशाही की संभावना को समाप्त करती है और स्विट्जरलैंड की भाषाई व सांस्कृतिक विविधताओं को शासन में समान प्रतिनिधित्व देती है।

28. प्रत्यक्ष लोकतंत्र (Direct Democracy) के दो मुख्य उपकरण कौन-कौन से हैं?

उत्तर:

स्विट्जरलैंड को "प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर" कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र से तात्पर्य उस व्यवस्था से है जहां नागरिक केवल अपने प्रतिनिधि नहीं चुनते, बल्कि स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने और नीतियों को स्वीकृति देने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं।

इसके दो मुख्य उपकरण (Tools) निम्नलिखित हैं:

1. लोकनिर्णय / जनमत संग्रह (Referendum):

इसके अंतर्गत संसद द्वारा पारित किए गए किसी कानून पर अंतिम मोहर जनता द्वारा लगाई जाती है। यदि जनता की एक निश्चित संख्या (या अनिवार्य मामलों में संविधान के तहत) मतदान द्वारा उस कानून को खारिज कर देती है, तो वह कानून रद्द हो जाता है।

2. आरम्भक (Initiative):

इस अधिकार के तहत नागरिक स्वयं नया कानून बनाने या संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव ला सकते हैं। यदि एक निश्चित संख्या में नागरिक (जैसे स्विट्जरलैंड में 1,00,000 नागरिक) किसी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो उस पर पूरे देश में मतदान कराना पड़ता है।

29. लोकनिर्णय (Referendum) और आरम्भक (Initiative) में क्या अंतर है?

उत्तर:

लोकनिर्णय (Referendum) और आरम्भक (Initiative) स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो सबसे शक्तिशाली साधन हैं, लेकिन इनकी प्रकृति और कार्यप्रणाली में स्पष्ट अंतर है:

1. प्रारंभ करने की दिशा:

लोकनिर्णय (Referendum): यह एक 'नकारात्मक' या 'सुरक्षात्मक' अधिकार है। इसकी शुरुआत संसद (विधायिका) से होती है। संसद कानून बनाती है, और जनता यह तय करती है कि उस कानून को स्वीकार किया जाए या अस्वीकार।

आरम्भक (Initiative): यह एक 'सकारात्मक' या 'रचनात्मक' अधिकार है। इसकी शुरुआत सीधे जनता द्वारा होती है। नागरिक स्वयं नए कानून या संवैधानिक संशोधन का मसौदा तैयार करते हैं।

2. उद्देश्य:

लोकनिर्णय का उद्देश्य संसद द्वारा बनाए गए किसी बुरे या अवांछित कानून को रोकना (Veto करना) होता है।

आरम्भक का उद्देश्य संसद को नया कानून बनाने के लिए मजबूर करना या सीधे नया कानून लागू करना होता है, जब संसद उस विषय पर निष्क्रिय हो।

30. स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक व्यवस्था की एक मुख्य विशेषता बताइए।

उत्तर:

स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे प्रमुख और मुख्य विशेषता इसका अत्यधिक विकेंद्रीकृत और संघवादी ढांचा (Decentralized and Federal Structure) है।

स्विट्जरलैंड 26 कैंटनों (Cantons/राज्यों) का एक संघ है। स्विस् प्रशासन की विशेषता यह है कि अधिकांश प्रशासनिक और बजटीय शक्तियां केंद्रीय (संघीय) सरकार के पास न होकर कैंटनों और स्थानीय नगर पालिकाओं (Communes) के पास सुरक्षित हैं। कैंटन केवल संघ के प्रशासनिक एजेंट नहीं हैं, बल्कि उनके पास अपने स्वतंत्र संविधान, अदालतें, पुलिस और कर (Tax) लगाने की शक्तियां हैं।

स्विस् प्रशासन गैर-राजनीतिक, अत्यधिक कुशल और तटस्थ माना जाता है। यहाँ नागरिक सहभागिता इतनी गहरी है कि प्रशासनिक स्तर पर लिए जाने वाले प्रमुख स्थानीय फैसलों (जैसे स्कूल बनाना या स्थानीय बजट) पर भी स्थानीय निवासियों से सीधे मतदान या परामर्श के माध्यम से मंजूरी ली जाती है।

यहाँ पाठ्यक्रम के सभी 20 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों (प्रश्न 31 से 50) के विस्तृत, गहन और सारगर्भित उत्तर (प्रत्येक न्यूनतम 500 शब्दों में) प्रस्तुत हैं:

दीर्घ उत्तरीय उत्तर (Long Answer Type Questions - 20)

31. तुलनात्मक राजनीति के अर्थ, प्रकृति और विषय-क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या कीजिए।

प्रस्तावना

तुलनात्मक राजनीति (Comparative Politics) राजनीति विज्ञान का एक अत्यंत व्यापक और अध्ययन की दृष्टि से सबसे गतिशील अंग है। यह केवल विभिन्न देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन मात्र नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक व्यवस्थाओं की आंतरिक गतिशीलता, संस्थागत ढांचे, राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा नागरिकों के राजनीतिक व्यवहार का एक वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन है।

1. तुलनात्मक राजनीति का अर्थ

तुलनात्मक राजनीति का शाब्दिक अर्थ दो या अधिक देशों की राजनीतिक प्रणालियों की आपस में तुलना करना है।

परंपरागत दृष्टिकोण: एडवर्ड फ्रीमैन और जी.ई.जी. कैटलिन जैसे विचारकों के अनुसार, तुलनात्मक राजनीति मुख्यतः विभिन्न राज्यों के कानूनी ढांचे, सरकारों के विभिन्न रूपों और संवैधानिक प्रावधानों का तुलनात्मक विवरण मात्र थी।

आधुनिक दृष्टिकोण: जी.ए. आमंड (G.A. Almond), जी.बी. पावेल (G.B. Powell), और डेविड ईस्टन (David Easton) जैसे आधुनिक विचारकों ने इसे नया विस्तार दिया। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार, तुलनात्मक राजनीति में केवल औपचारिक संस्थाएं (जैसे संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका) ही शामिल नहीं हैं, बल्कि वे गैर-औपचारिक तत्व भी शामिल हैं जो राजनीति को प्रभावित करते हैं—जैसे दबाव समूह, राजनीतिक संस्कृति, जाति, धर्म, जनमत, और मतदान व्यवहार।

2. तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति (Nature)

तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को निम्नलिखित मुख्य पहलुओं के आधार पर समझा जा सकता है:

(क) वैज्ञानिक और अनुभवजन्य (Empirical)

आधुनिक तुलनात्मक राजनीति काल्पनिक या केवल दर्शनाधारित (Normative) नहीं है। यह "क्या होना चाहिए" के बजाय "क्या है" का अध्ययन करती है। यह आंकड़ों, तथ्यों और प्रत्यक्ष अवलोकनों पर आधारित एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाती है।

(ख) विश्लेषणात्मक और समस्या-उन्मुख

यह केवल संस्थाओं का वर्णन (Descriptive) नहीं करती, बल्कि विभिन्न राजनीतिक परिघटनाओं के कारणों का विश्लेषण करती है। उदाहरण के लिए, यह अध्ययन करती है कि ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र सफल क्यों रहा जबकि कई नव-स्वतंत्र देशों में यह विफल हो गया।

(ग) अंतर-विषयी दृष्टिकोण (Interdisciplinary Approach)

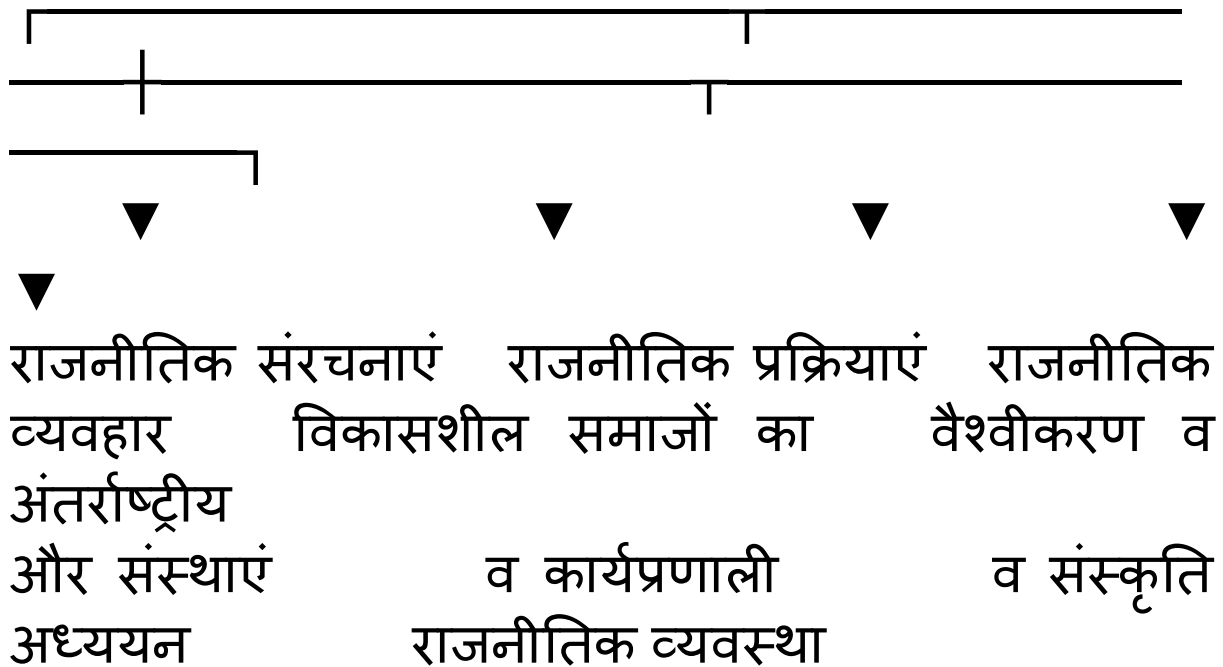
राजनीतिक प्रक्रियाओं को सही ढंग से समझने के लिए तुलनात्मक राजनीति समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और इतिहास जैसे अन्य सामाजिक विज्ञानों की अवधारणाओं का व्यापक प्रयोग करती है।

3. तुलनात्मक राजनीति का विषय-क्षेत्र (Scope)

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 'व्यवहारवादी क्रांति' (Behavioral Revolution) के कारण तुलनात्मक राजनीति के विषय-क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार हुआ। वर्तमान में इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषय शामिल हैं:

...

तुलनात्मक राजनीति का विषय-क्षेत्र



...

1. संवैधानिक और संस्थागत संरचनाएं: ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, स्विट्जरलैंड आदि देशों की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रशासनिक प्रणालियों की तुलना।
2. राजनीतिक दल एवं दबाव समूह: विभिन्न देशों में दलीय प्रणालियों (एक-दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय) तथा दबाव समूहों की कार्यशैली और प्रभाव का अध्ययन।
3. राजनीतिक संस्कृति और समाजीकरण: नागरिकों के राजनीतिक मूल्य, विश्वास, और अभिवृत्तियां (Attitudes) किस प्रकार निर्मित होती हैं और वे शासन को कैसे प्रभावित करती हैं।

4. विकासशील और नव-स्वतंत्र देश (तृतीय विश्व): एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में वि-उपनिवेशीकरण के बाद राजनीतिक स्थिरता, सैन्य तख्तापलट और लोकतंत्रीकरण का विश्लेषण।

5. राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण: समाज के पारंपरिक ढांचे से आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ केवल सरकारों के कानूनी दस्तावेजों की तुलना करना नहीं है। यह राजनीतिक जीवन के संपूर्ण ढांचे और मानव व्यवहार का एक व्यापक, वैज्ञानिक और तुलनात्मक अध्ययन है। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के अंतर्संबंधों को समझने के लिए इसका अध्ययन अनिवार्य हो गया है।

32. आधुनिक युग में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की उपयोगिता और महत्व की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।

प्रस्तावना

राजनीति विज्ञान के परिदृश्य में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का महत्व आधुनिक युग में अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नव-स्वतंत्र देशों के उदय, शीत युद्ध के घटनाक्रम और वर्तमान वैश्वीकरण (Globalization) ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को अलग-थलग (Isolation) रहकर नहीं समझा जा सकता।

तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की प्रमुख उपयोगिता

1. सर्वमान्य राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण

तुलनात्मक राजनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके माध्यम से राजनीति विज्ञान में 'वैज्ञानिक नियमों' और सिद्धांतों का निर्माण संभव होता है। जब हम कई देशों के राजनीतिक अनुभवों, चुनावी प्रणालियों और प्रशासनिक मॉडलों का अध्ययन करते हैं, तो हम कुछ सामान्य निष्कर्षों तक पहुँच सकते हैं जो एक सार्वभौमिक सिद्धांत का रूप लेते हैं।

2. अपनी राजनीतिक व्यवस्था का बेहतर मूल्यांकन किसी भी देश के नागरिक या नीति-निर्माता अपनी राजनीतिक व्यवस्था के गुणों और दोषों को तब तक सही ढंग से नहीं पहचान सकते जब तक वे अन्य प्रणालियों से उसकी तुलना न करें। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके ही एक व्यावहारिक और मजबूत संविधान तैयार किया था।

3. राजनीतिक क्षितिज और ज्ञान का विस्तार तुलनात्मक अध्ययन से संकीर्णता समाप्त होती है। यह विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को यह समझने में मदद करता है कि विश्व में लोकतंत्र केवल एक ही रूप (जैसे अमेरिकी अध्यक्षतात्मक प्रणाली) में नहीं होता, बल्कि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली, स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र और चीन के साम्यवादी मॉडल जैसे विविध रूप भी अस्तित्व में हैं।

4. नीति-निर्माण और शासन सुधार में सहायक सरकारें और नीति-निर्माता अन्य देशों की सफल नीतियों और संवैधानिक संशोधनों से सीख ले सकते हैं। उदाहरण के

लिए, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने या भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई 'ओम्बुड्समैन' (Ombudsman/लोकपाल) प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन करके इसे अपने देश में लागू किया जा सकता है।

5. विकासशील समाजों की समस्याओं को समझना
यह अध्ययन एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों में राजनीतिक अस्थिरता, जातिवाद, संप्रदायवाद और आर्थिक पिछड़ेपन के कारणों को गहराई से समझने में मदद करता है।

तुलनात्मक राजनीति की सीमाएं एवं आलोचनात्मक समीक्षा

यद्यपि तुलनात्मक राजनीति अत्यंत उपयोगी है, फिर भी इसकी अध्ययन पद्धति में कुछ गंभीर चुनौतियां और सीमाएं हैं:

| क्र.सं. | चुनौती / सीमा | विवरण |

| 1. | पश्चिमी दृष्टिकोण का पूर्वाग्रह (Eurocentric Bias) | पारंपरिक और शुरुआती तुलनात्मक अध्ययन मुख्यतः पश्चिमी देशों (यूरोप व अमेरिका) के अनुभवों पर आधारित थे, जो विकासशील समाजों पर सही नहीं उतरते। |

| 2. | पारिभाषिक और शब्दावली की अनिश्चितता | 'लोकतंत्र', 'स्वतंत्रता' या 'विकास' जैसी अवधारणाओं का अर्थ पश्चिमी देशों में अलग है और चीन या अफ्रीकी देशों में बिल्कुल अलग है। |

| 3. | तथ्यों की उपलब्धता और विश्वसनीयता | चीन या उत्तर कोरिया जैसी अधिनायकवादी प्रणालियों से सटीक और विश्वसनीय राजनीतिक आंकड़े व तथ्य प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। |

| 4. | सांस्कृतिक विविधता की जटिलता | प्रत्येक देश का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश अलग होता है। एक देश में सफल संस्था (जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली) जरूरी नहीं कि किसी दूसरे देश में भी उतनी ही सफल हो। |

निष्कर्ष

आलोचनाओं और व्यावहारिक सीमाओं के बावजूद, आधुनिक युग में तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। इसने राजनीति विज्ञान को एक वर्णनात्मक शास्त्र के स्थान पर एक विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक विषय में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

33. उदारवादी लोकतंत्र की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए तथा पूंजीवादी व्यवस्था के साथ इसके संबंधों पर प्रकाश डालिए।

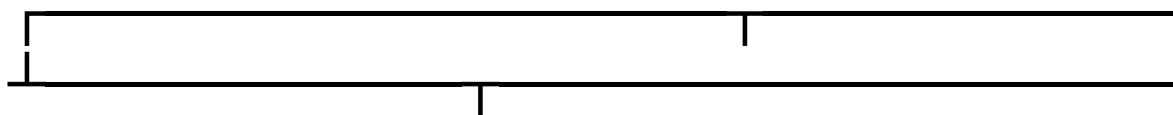
प्रस्तावना

उदारवादी लोकतंत्र (Liberal Democracy) आधुनिक विश्व में शासन व्यवस्था का सबसे लोकप्रिय और स्वीकृत रूप है। यह दो अलग-अलग अवधारणाओं—"उदारवाद" (जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सीमित सरकार पर जोर देता है) और "लोकतंत्र" (जो जनता की संप्रभुता और बहुमत के शासन पर जोर देता है)—का एक अनूठा संगम है।

उदारवादी लोकतंत्र के मूल सिद्धांत एवं घटक

...

उदारवादी लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभ



7



व्यक्तिगत स्वतंत्रता विधि का शासन (Rule of Law)
नियंत्रित व सीमित सरकार स्वतंत्र न्यायपालिका
और मौलिक अधिकार
व बहुदलीय चुनाव

...

1. व्यक्तिगत स्वतंत्रता: प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, संगठन बनाने, और धर्म पालन की स्वतंत्रता होती है।

2. कानून का शासन (Rule of Law): कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होते हैं, चाहे वे शासक हों या शासित।

3. सीमित और उत्तरदायी सरकार: सरकार की शक्तियां संविधान द्वारा सीमित होती हैं ताकि वह निरंकुश न बन सके।

4. स्वतंत्र न्यायपालिका और आवधिक चुनाव: नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका और शासन के परिवर्तन के लिए नियमित, निष्पक्ष चुनाव होते हैं।

उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद का ऐतिहासिक संबंध

ऐतिहासिक रूप से, उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद (Capitalism) का विकास एक साथ और एक-दूसरे के पूरक के रूप में हुआ है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप में सामंतवाद (Feudalism) के पतन के बाद जब पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का उदय हुआ, तो उसने एक नए सामाजिक वर्ग—मध्यम वर्ग या पूंजीपति वर्ग (Bourgeoisie)—को जन्म दिया।

1. दर्शन और मूल्यों की समानता

स्वतंत्रता का मूल्य: पूंजीवाद को आर्थिक गतिविधियों में 'मुक्त बाजार' और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आवश्यकता थी। इसी आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उदारवादी लोकतंत्र के 'राजनीतिक अधिकारों' और 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' का समर्थन किया गया।

निजी संपत्ति की रक्षा: पूंजीवाद का मुख्य आधार 'निजी संपत्ति का अधिकार' है। उदारवादी लोकतंत्र ने कानूनों के माध्यम से निजी संपत्ति को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की।

2. राज्य के हस्तक्षेप का विरोध

शुरुआती पूंजीवाद ने 'अहस्तक्षेप' (Laissez-faire) के सिद्धांत का समर्थन किया, जिसका अर्थ था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसने उदारवादी लोकतंत्र के 'सीमित राज्य' (Minimal State) के विचार को मजबूती दी।

दोनों के बीच तनाव और अंतर्विरोध

यद्यपि पूंजीवाद और उदारवादी लोकतंत्र एक-दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन उनके बीच गहरा अंतर्निहित विरोधाभास भी है:

समानता बनाम असमानता: लोकतंत्र "राजनीतिक समानता" के सिद्धांत पर आधारित है (एक व्यक्ति = एक वोट)। इसके विपरीत, पूंजीवाद अपनी प्रकृति से ही "आर्थिक असमानता" पैदा करता है, जहाँ धन का संचय कुछ ही हाथों में हो जाता है।

पूंजी का राजनीतिक प्रभाव: पूंजीवादी व्यवस्था में अमीर लोग, उद्योगपति और कॉर्पोरेट घराने अपने धन बल, मीडिया नियंत्रण और दबाव समूहों के माध्यम से चुनावों और सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं, जिससे सामान्य नागरिकों की लोकतांत्रिक भागीदारी कमजोर होती है।

आधुनिक परिवर्तन: कल्याणकारी राज्य (Welfare State) पूंजीवाद और उदारवादी लोकतंत्र के इस तनाव को दूर करने के लिए 20वीं शताब्दी में 'कल्याणकारी राज्य' का मॉडल उभरा। इसके तहत राज्य ने पूंजीवादी व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त किए बिना, करों (Taxes) के माध्यम से संसाधनों का पुनर्वितरण किया और शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाया।

निष्कर्ष

संक्षेप में, उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद का रिश्ता एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह रहा है। जहाँ पूंजीवाद ने लोकतंत्र के लिए आवश्यक आर्थिक आधार और मध्यम वर्ग प्रदान किया, वहीं उदारवादी लोकतंत्र ने पूंजीवाद को कानूनी स्थिरता और जन-स्वीकृति प्रदान की।

34. एक समाजवादी राज्य के संगठन, कार्यप्रणाली और मूलभूत सिद्धांतों की विस्तार से विवेचना कीजिए।

प्रस्तावना

समाजवादी राज्य (Socialist State) की अवधारणा पूंजीवादी राज्य के शोषण, वर्ग-विभाजन और आर्थिक असमानता के विरोध में उत्पन्न हुई थी। 1917 की रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ (USSR) में पहली बार एक व्यावहारिक समाजवादी राज्य की स्थापना हुई। इसके बाद चीन, पूर्वी यूरोप और कई एशियाई देशों में इस मॉडल को अपनाया गया।

1. समाजवादी राज्य के मूलभूत सिद्धांत

(क) उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व

समाजवादी राज्य का सबसे मौलिक सिद्धांत यह है कि भूमि, खदानों, कारखानों, बैंकों और परिवहन जैसे उत्पादन व वितरण के प्रमुख साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। इन सभी पर संपूर्ण समाज या राज्य का नियंत्रण होता है।

(ख) वर्ग-विहीन समाज की स्थापना

कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के अनुसार, पूंजीवाद समाज को दो वर्गों—शोषक (पूंजीपति) और शोषित (मजदूर)—में बांटता है। समाजवादी राज्य का लक्ष्य इस वर्ग-भेद को समाप्त करके एक 'वर्ग-विहीन समाज' (Classless Society) का निर्माण करना है।

(ग) सामाजिक न्याय और समानता

समाजवादी राज्य केवल कानूनी या राजनीतिक समानता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह 'आर्थिक समानता' पर बल देता है। इसमें वितरण का नियम होता है: "प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार।"

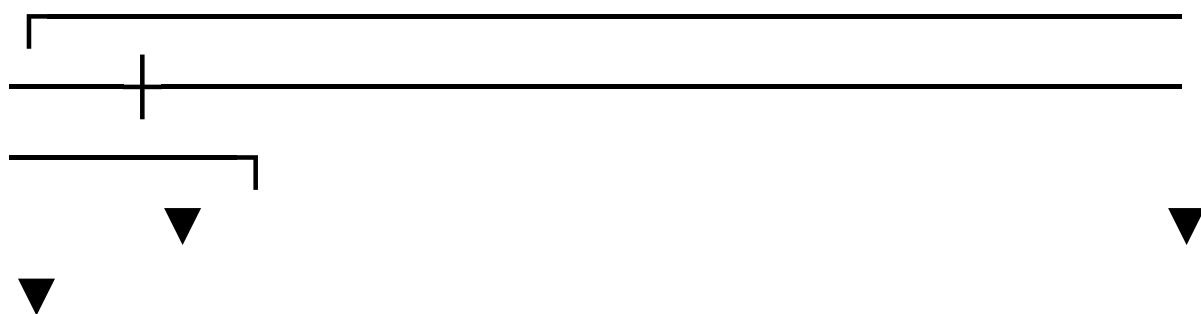
(घ) व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर सामाजिक आवश्यकता पूंजीवाद में उत्पादन का उद्देश्य 'मुनाफा' कमाना होता है, जबकि समाजवादी राज्य में उत्पादन का उद्देश्य समाज की बुनियादी आवश्यकताओं (भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य) को पूरा करना होता है।

2. समाजवादी राज्य का संगठन और ढांचा

...

समाजवादी राज्य का सांगठनिक ढांचा

|



साम्यवादी दल का एकाधिकार नियोजन (पार्टी ही राज्य का संचालन करती है) 5-वर्षीय योजनाएं)	केंद्रीयकृत आर्थिक एकल/एकीकृत सत्ता ढांचा (राज्य द्वारा शक्तियों के पृथक्करण का अभाव)
--	--

...

1. एक-दलीय व्यवस्था (Single-Party System):
समाजवादी राज्य में आमतौर पर केवल एक ही दल—साम्यवादी/कम्युनिस्ट पार्टी—की उपस्थिति होती है। अन्य विरोधी राजनीतिक दलों को अनुमति नहीं होती।

2. संसदीय व्यवस्था का भिन्न रूप: यहाँ विधायिका (जैसे चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस) होती है, लेकिन यह पश्चिमी देशों की तरह प्रतिस्पर्धी नहीं होती। यह दल के निर्णयों को विधायी स्वीकृति देने का काम करती है।

3. न्यायपालिका की प्रतिबद्धता: न्यायपालिका स्वतंत्र होने के स्थान पर समाजवादी संविधान और साम्यवादी दल की विचारधारा के प्रति 'प्रतिबद्ध' (Committed Judiciary) होती है।

3. समाजवादी राज्य की कार्यप्रणाली

केंद्रीयकृत आर्थिक नियोजन (Centralized Economic Planning): राज्य में एक केंद्रीय नियोजन आयोग (Planning Commission) होता है जो यह तय करता है कि देश में किस वस्तु का कितना उत्पादन होगा, कीमतें क्या होंगी और मजदूरी कितनी होगी। (जैसे सोवियत संघ की 5-वर्षीय योजनाएं)।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण: राज्य प्रत्येक नागरिक को रोजगार, मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा सुविधा और आवास की शत-प्रतिशत गारंटी देता है। बेरोजगारी और भुखमरी को समाप्त करना राज्य का मुख्य कार्य होता है।

लोकतांत्रिक केंद्रवाद (Democratic Centralism): निर्णय लेने की प्रक्रिया में निचले स्तर पर विचार-विमर्श तो होता है, लेकिन एक बार जब शीर्ष नेतृत्व (पार्टी) निर्णय ले लेता है, तो नीचे के सभी स्तरों को उसका कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होता है।

आलोचनात्मक मूल्यांकन

यद्यपि समाजवादी राज्य ने गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा और त्वरित औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलताएं प्राप्त कीं, लेकिन इसकी कुछ गंभीर कमियां भी रहीं:

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक विरोध को बेरहमी से कुचला गया।

नौकरशाही का वर्चस्व (Red Tapisism): बाजार प्रतिस्पर्धा न होने और पूरी अर्थव्यवस्था राज्य द्वारा संचालित होने के कारण लालफीताशाही और अक्षमता बढ़ी, जिससे अंततः सोवियत संघ का विघटन हुआ।

निष्कर्ष

समाजवादी राज्य की अवधारणा ने दुनिया भर में सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य के विचारों को प्रेरित किया। यद्यपि इसका कठोर सोवियत मॉडल समाप्त हो गया है, लेकिन चीन और वियतनाम जैसे देशों ने 'बाजार समाजवाद' (Market Socialism) के रूप में इसे नए दौर में ढाला है।

35. तृतीय विश्व / विकासशील देशों में वि-उपनिवेशीकरण (Decolonization) की प्रक्रिया तथा राज्य की बदलती भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

प्रस्तावना

द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) के पश्चात विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण परिघटनाओं में से एक 'वि-उपनिवेशीकरण' (Decolonization) थी। इसके तहत एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के दर्जनों देश यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों (जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, डच) की दास्तां से मुक्त हुए। इन नए स्वतंत्र देशों को सामूहिक रूप

से 'तृतीय विश्व' (Third World) या 'विकासशील दुनिया' कहा गया।

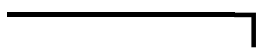
1. वि-उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया

वि-उपनिवेशीकरण कोई एक समान या सरल प्रक्रिया नहीं थी; यह विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग रूपों में संपन्न हुई:

...

वि-उपनिवेशीकरण के मार्ग

|



शांतिपूर्ण/संवैधानिक

सशस्त्र क्रांति व मुक्ति संग्राम

(उदा. भारत, श्रीलंका - आंदोलनों व वार्ताओं द्वारा)

(उदा. वियतनाम, अल्जीरिया - हिंसक जन-संघर्ष द्वारा)

...



मार्ग

वि-उपनिवेशीकरण के मुख्य प्रेरक कारक:

1. औपनिवेशिक शक्तियों का कमजोर होना: द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन और फ्रांस की आर्थिक व सैन्य शक्ति तोड़ दी थी।

2. राष्ट्रीय आंदोलनों का उभार: उपनिवेशों में महात्मा गांधी (भारत), क्वामे नक्रूमा (घाना), और हो ची मिन्ह

(वियतनाम) जैसे नेताओं के नेतृत्व में शक्तिशाली स्वतंत्रता आंदोलन चले।

3. अंतर्राष्ट्रीय दबाव: संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की स्थापना, तथा अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा उपनिवेशवाद विरोधी रुख अपनाने से वि-उपनिवेशीकरण को गति मिली।

2. नव-स्वतंत्र राज्यों के समक्ष प्रारंभिक चुनौतियां स्वतंत्रता मिलने के बाद विकासशील समाजों के सामने निम्नलिखित गंभीर समस्याएं थीं:

आर्थिक विपन्नता: औपनिवेशिक शोषण के कारण कृषि और उद्योग तबाह हो चुके थे।

राष्ट्रीय एकीकरण का संकट: कृत्रिम रूप से खींची गई सीमाओं के कारण जातीय, भाषाई और धार्मिक कबीलाई हिंसा का खतरा था।

प्रशासकीय शून्यता: कुशल प्रशासनिक अधिकारियों और ढांचागत सुविधाओं की भारी कमी थी।

3. विकासशील समाजों में राज्य की बदलती भूमिका इन भीषण चुनौतियों से निपटने के लिए विकासशील समाजों में 'राज्य' की भूमिका पश्चिमी देशों की तुलना में काफी अलग और अधिक व्यापक हो गई:

(क) राज्य एक आर्थिक संरक्षक और विकासकर्ता के रूप में पश्चिमी देशों में औद्योगिकीकरण निजी पूंजीपतियों द्वारा हुआ, लेकिन तृतीय विश्व में निजी पूंजी का अभाव था। इसलिए राज्य को ही मुख्य आर्थिक एजेंट बनना पड़ा। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों

(PSUs) की स्थापना और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की पूरी जिम्मेदारी राज्य ने संभाली।

(ख) राज्य एक 'राष्ट्र-निर्माता' (Nation-BUILDER) के रूप में विविध जातियों, धर्मों और कबीलों में बंटे समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए राज्य ने मुख्य भूमिका निभाई। शिक्षा प्रणाली, राष्ट्रीय प्रतीकों और संविधान के माध्यम से 'राष्ट्रीय पहचान' का निर्माण किया गया।

(ग) सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण का माध्यम पारंपरिक और रूढ़िवादी समाजों में छुआछूत, बाल विवाह, कबीलाई निष्ठाओं जैसी सामाजिक बुराइयों को कानून बनाकर समाप्त करने का काम राज्य ने किया।

(घ) तानाशाही और सैन्य शासन की ओर झुकाव कई विकासशील देशों (विशेषकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में) में कमजोर लोकतांत्रिक संस्थाओं के कारण राज्य की सत्ता पर सेना या तानाशाही शासकों का कब्जा हो गया। इसे "अति-विकसित राज्य" (Over-developed State) की अवधारणा (हमजा अलवी द्वारा प्रतिपादित) द्वारा समझा जाता है, जहां समाज कमजोर और राज्य का नौकरशाही-सैन्य ढांचा अत्यधिक शक्तिशाली होता है।

(ङ) वैश्वीकरण के दौर में राज्य (1990 के बाद)
1990 के बाद विश्व बैंक और आईएमएफ की 'उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण' (LPG) नीतियों के कारण विकासशील राज्यों की भूमिका में पुनः बदलाव आया। राज्य अब प्रत्यक्ष आर्थिक उत्पादक के स्थान पर एक 'सुविधाप्रदाता' (Facilitator) और 'नियामक' (Regulator) की भूमिका में आ गया है।

निष्कर्ष

वि-उपनिवेशीकरण ने केवल मानचित्र नहीं बदले, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को ही बदल दिया। विकासशील दुनिया में राज्य केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्था नहीं रहा, बल्कि वह आर्थिक विकास, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र-निर्माण का सबसे बड़ा औजार बनकर उभरा है।

36. "ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है, निर्मित नहीं।" इस कथन के आलोक में ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

प्रस्तावना

प्रसिद्ध विचारक स्ट्रॉंग (Strong) का कथन है कि "ब्रिटिश संविधान बनाया नहीं गया, बल्कि यह विकसित हुआ है।" (The British Constitution has not been made, but has grown)। दुनिया के अधिकांश देशों (जैसे अमेरिका, भारत, फ्रांस) के संविधान किसी विशेष समय पर किसी संविधान सभा द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन ब्रिटेन का संविधान 1400 से अधिक वर्षों के ऐतिहासिक विकास, परंपराओं, न्यायिक निर्णयों और राजनीतिक संघर्षों का परिणाम है।

ऐतिहासिक विकास का क्रम

ब्रिटिश संविधान का क्रमिक विकास निम्नलिखित ऐतिहासिक मील के पत्थरों से होकर गुजरा है:

मैग्ना कार्टा (1215): सम्राट की निरंकुश शक्तियों पर पहली बार कानूनी रोक लगी।

पिटीशन ऑफ राइट (1628): नागरिकों के अधिकारों की घोषणा।

1688 की गौरवपूर्ण क्रांति (Glorious Revolution): बिना रक्तपात के राजा की निरंकुशता समाप्त हुई और संसद की सर्वोपरि सत्ता स्थापित हुई।

बिल ऑफ राइट्स (1689): संसदात्मक शासन का कानूनी आधार बना।

ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं
...

ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताएं

1			
▼	▼	▼	▼
अअलिखित व लचीला प्रजातंत्र संविधान नाममात्र, का सिद्धांत)	विधि का शासन (ए.वी. डायसी असीमित है)	संसदीय सर्वोच्चता (संसद कानूनी रूप से पीएम वास्तविक)	संसदीय (सम्राट

...

1. अअलिखित और अनौपचारिक संविधान (Unwritten Constitution)

ब्रिटिश संविधान किसी एक पुस्तक या दस्तावेज के रूप में उपलब्ध नहीं है। यह अलिखित है, जिसका अर्थ यह है कि इसका बड़ा भाग परंपराओं (Conventions), प्रथाओं और रीति-रिवाजों पर आधारित है। हालांकि, कुछ लिखित अधिनियम (जैसे 1911 और 1949 के पार्लियामेंट एक्ट) भी इसके अंग हैं।

2. अत्यधिक लचीलापन (Flexibility)

ब्रिटिश संविधान विश्व का सबसे लचीला संविधान है। इसमें संशोधन करने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया (जैसे दो-तिहाई बहुमत) की आवश्यकता नहीं होती। ब्रिटिश संसद साधारण बहुमत से किसी भी संवैधानिक कानून को बना सकती है या बदल सकती है।

3. संसद की सर्वोच्चता (Parliamentary Sovereignty)

ब्रिटेन में संसद सर्वोपरि है। जैसा कि कानूनी विशेषज्ञ ए.वी. डायसी ने लिखा है, "ब्रिटिश संसद कानूनी रूप से इतनी शक्तिशाली है कि वह कोई भी कानून बना सकती है।" ब्रिटेन में न्यायपालिका के पास संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द करने (Judicial Review) का अधिकार नहीं है।

4. संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय शासन

ब्रिटेन में "राजा शासन करता है, राज नहीं करता।" ब्रिटेन का सम्राट (King/Queen) केवल नाममात्र का संवैधानिक प्रमुख (Titular Head) होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता द्वारा चुनी गई संसद, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती है।

5. एकात्मक शासन प्रणाली (Unitary System)

ब्रिटेन में अमेरिका या भारत की तरह संघात्मक ढांचा नहीं है। सम्पूर्ण देश की शासन सत्ता लंदन स्थित 'वेस्टमिंस्टर संसद' (केंद्र सरकार) में निहित है। स्थानीय निकायों को जो भी शक्तियां मिलती हैं, वे केंद्र सरकार द्वारा दी जाती हैं।

6. विधि का शासन (Rule of Law)

ब्रिटिश व्यवस्था का मूल आधार कानून की सर्वोच्चता है। ए.वी. डायसी के अनुसार, विधि के शासन का अर्थ है:

कानून से ऊपर कोई नहीं है।

सभी नागरिक (अधिकारी या सामान्य व्यक्ति) एक ही साधारण कानून और साधारण न्यायालयों के अधीन हैं।

7. अभिसमयों (Conventions) का अत्यधिक महत्व

ब्रिटिश संविधान की आत्मा वहां की अलिखित परंपराएं या अभिसमय हैं। उदाहरण के लिए, "सम्राट संसद द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं करेगा" या "प्रधानमंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स के बहुमत दल का नेता होगा"—यह बातें कहीं लिखी नहीं हैं, फिर भी इनका कड़ाई से पालन किया जाता है।

निष्कर्ष

ब्रिटिश संविधान का क्रमिक विकास यह दर्शाता है कि यह एक जीवित और परिवर्तनशील संस्था है। इसने बिना किसी हिंसक क्रांति के निरंकुश राजतंत्र से आधुनिक उदारवादी लोकतंत्र में खुद को सफलतापूर्वक ढाला है। इसीलिए यह कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है कि "ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि इसका निरंतर विकास हुआ है।"

37. ब्रिटेन में सम्राट (Crown) और राजा (King) के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए तथा ब्रिटिश राजनीति में सम्राट की वास्तविक स्थिति का परीक्षण कीजिए।

प्रस्तावना

ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था को गहराई से समझने के लिए "राजा" (King/Queen) और "मुकुट" या "सम्राट" (The Crown) के बीच के अंतर को समझना अत्यंत आवश्यक है। ब्रिटिश राजनीति में एक प्रसिद्ध कहावत है: "राजा मृत है, राजा चिरायु हो" (The King is dead, long live the King) तथा "राजा कोई गलती नहीं कर सकता" (The King can do no wrong)। ये कहावतें राजा और क्राउन के सूक्ष्म संवैधानिक अंतर को रेखांकित करती हैं।

1. राजा (King) और मुकुट/सम्राट (The Crown) में अंतर
| क्र.सं. | अंतर का आधार | राजा (King/Queen) | मुकुट /
सम्राट (The Crown) |

|---|---|---|---|

| 1. | स्वरूप | राजा एक व्यक्ति (Human Being) है जो सिंहासन पर बैठता है। | क्राउन एक संस्था (Institution) है, जिसमें राजा, मंत्रिमंडल और संसद शामिल हैं। |

| 2. | स्थायित्व | राजा नश्वर (Mortal) है; वह वृद्ध होता है, पद त्याग सकता है या मर सकता है। | क्राउन अमर (Immortal) है; संस्था के रूप में यह कभी समाप्त नहीं होता। |

| 3. | शक्तियां | व्यक्ति के रूप में राजा की अपनी कोई वास्तविक राजनीतिक शक्ति नहीं होती। | समस्त

कार्यपालक और विधायी शक्तियां 'क्राउन' नामक संस्था में निहित हैं।।

| 4. | प्रकृति | यह एक दृश्यमान और भौतिक अस्तित्व है। | यह एक अदृश्य, कानूनी और अमूर्त (Abstract) अवधारणा है।।

2. "राजा कोई गलती नहीं कर सकता" (The King can do no wrong) का अर्थ

इस प्रसिद्ध संवैधानिक सिद्धांत के दो मुख्य कानूनी अर्थ हैं:

1. कानूनी उन्मुक्ति (Legal Immunity): राजा के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक या दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

2. मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व: राजा अपनी इच्छा से कोई राजनीतिक कार्य नहीं करता। उसके प्रत्येक कार्य पर किसी न किसी मंत्री के हस्ताक्षर (Counter-signature) होना अनिवार्य है। यदि कोई फैसला गलत साबित होता है, तो उसके लिए संबंधित मंत्री जिम्मेदार होता है, राजा नहीं।

3. ब्रिटिश राजनीति में राजा की वास्तविक स्थिति
यद्यपि सिद्धांत रूप में ब्रिटिश शासन की समस्त शक्तियां 'क्राउन' के पास हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से राजा केवल एक नाममात्र का औपचारिक प्रधान (Nominal Head) बनकर रह गया है।

(क) नाममात्र की शक्तियां

प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राजा द्वारा होती है, लेकिन राजा उसी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए बाध्य है जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त हो।

राजा संसद का अधिवेशन बुलाता है और उसे भंग करता है, लेकिन यह सब केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है।

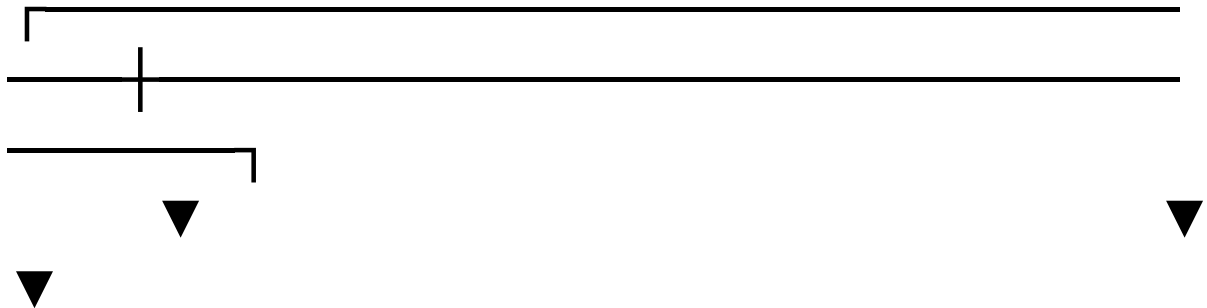
संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राजा की स्वीकृति केवल एक औपचारिकता है; पिछले 300 वर्षों से किसी स्विस या ब्रिटिश राजा ने 'वीटो' का प्रयोग नहीं किया है।

(ख) राजा का वास्तविक प्रभाव: बैजहॉट का सिद्धांत 19वीं शताब्दी के राजनीतिक विचारक वॉल्टर बैजहॉट (Walter Bagehot) ने लिखा था कि संवैधानिक राजा के पास तीन मुख्य अधिकार होते हैं:

...

संवैधानिक राजा के तीन अधिकार

|



परामर्श देने का अधिकार
अधिकार

(To be consulted)
(To warn)

प्रोत्साहित करने का
अधिकार

(To encourage)

...

1. परामर्श प्राप्त करने का अधिकार: प्रधानमंत्री साप्ताहिक बैठकों में राजा को देश की स्थिति की जानकारी देता है।

2. प्रोत्साहित करने का अधिकार: राजा सरकार की अच्छी नीतियों की सराहना कर सकता है।

3. चेतावनी देने का अधिकार: यदि सरकार कोई हानिकारक कदम उठा रही है, तो राजा अपने दीर्घकालिक अनुभव के आधार पर गुप्त रूप से प्रधानमंत्री को सचेत कर सकता है।

(ग) निष्पक्ष मध्यस्थ और राष्ट्रीय प्रतीक

राजनीतिक दलों से ऊपर होने के कारण राजा देश में राष्ट्रीय एकता, निरंतरता और निष्पक्षता का प्रतीक होता है। त्रिशंकु संसद या राजनीतिक संकट के समय राजा की भूमिका एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में महत्वपूर्ण हो जाती है।

निष्कर्ष

ग्लैडस्टोन के शब्दों में, "ब्रिटिश संविधान में जैसा परिवर्तन राजा के संबंध में आया है, वैसा किसी अन्य संस्था के संबंध में नहीं आया।" राजा निरंकुश शासक से बदलकर एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक ध्वजवाहक बन गया है। राजा भले ही शासन न करता हो, लेकिन एक सम्मानित राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में ब्रिटिश व्यवस्था में उसकी उपयोगिता आज भी बनी हुई है।

38. ब्रिटेन में कार्यपालिका (प्रधान मंत्री व मंत्रिमंडल) तथा विधायिका (संसद) के बीच संबंधों की विवेचना कीजिए।

प्रस्तावना

ब्रिटेन की शासन प्रणाली को दुनिया भर में 'संसदीय व्यवस्था का जनक' (Mother of Parliamentary Systems) माना जाता है। इसे "वेस्टमिंस्टर मॉडल" (Westminster Model) भी कहा जाता है। संसदीय प्रणाली का सबसे मूल लक्षण कार्यपालिका (Executive) और

विधायिका (Legislature) के बीच शक्तियों का पृथक्करण न होकर, उनके बीच गहरा समन्वय, घनिष्ठ संबंध और संलयन (Fusion of Powers) होना है।

1. कार्यपालिका का संसद से उदय और जुड़ाव
ब्रिटेन में मंत्रिमंडल (कार्यपालिका) संसद की ही एक समिति की तरह कार्य करता है:

संसद की सदस्यता अनिवार्य: प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों (मंत्रियों) के लिए संसद के किसी एक सदन (हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स) का सदस्य होना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

संसदीय बहुमत पर निर्भरता: कार्यपालिका अपने पद पर केवल तब तक बनी रह सकती है जब तक उसे निचले सदन—हाउस ऑफ कॉमन्स (House of Commons)—का विश्वास प्राप्त है। यदि हाउस ऑफ कॉमन्स में अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) पारित हो जाता है, तो पूरी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है।

2. विधायिका (संसद) द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के साधन

संसद विभिन्न लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री पर नियंत्रण रखती है:

...

संसद द्वारा नियंत्रण के प्रमुख साधन

|

▼	▼	▼	▼
प्रश्नकाल और पूरक प्रश्न (Question Hour) पर बहस	काम रोको प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव (Adjournment Motion) (No-Confidence)	संसदीय समितियां व	संसदीय बजट

...

1. प्रश्नकाल (Question Hour): प्रतिदिन संसद सत्र के दौरान सांसद मंत्रियों और प्रधानमंत्री से उनके विभागों के कामकाज पर तीखे सवाल पूछते हैं।

2. बजट पर चर्चा: सरकार संसद की स्वीकृति के बिना न तो एक भी रुपया टैक्स लगा सकती है और न ही खर्च कर सकती है।

3. अविश्वास प्रस्ताव: यह संसद का सबसे अंतिम और शक्तिशाली हथियार है, जिससे सरकार गिर सकती है।

3. कार्यपालिका द्वारा संसद का नेतृत्व और नियंत्रण यद्यपि सिद्धांत रूप में संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, लेकिन आधुनिक समय में दलीय अनुशासन (Party Discipline) और 'व्हिप' (Whip) प्रणाली के कारण व्यावहारिक स्थिति उलट गई है। वास्तव में मंत्रिमंडल ही संसद का नेतृत्व और नियंत्रण करता है:

कानून निर्माण का अधिकार: संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले 90% से अधिक कानून (सरकारी विधेयक) मंत्रिमंडल द्वारा ही तैयार और पेश किए जाते हैं।

संसद को भंग करने की शक्ति: यदि संसद मंत्रिमंडल के साथ सहयोग नहीं करती, तो प्रधानमंत्री राजा को सलाह देकर हाउस ऑफ कॉमन्स को समय से पूर्व भंग करवा सकता है और नए चुनाव करा सकता है। यह शक्ति संसदों पर एक बड़ा दबाव बनाए रखती है।

संसदीय समय पर नियंत्रण: संसद का सत्र कब बुलाया जाएगा, क्या एजेंडा होगा और किस विधेयक पर बहस होगी, इसका निर्धारण सरकार (मंत्रिमंडल) ही करती है।

4. "मंत्रिमंडल की तानाशाही" (Cabinet Dictatorship) की अवधारणा

आधुनिक काल में दलीय व्यवस्था के अत्यधिक मजबूत होने से लॉर्ड हैवर्ट (Lord Hewart) और आर.एच. क्रॉसमेन जैसे विद्वानों ने ब्रिटेन में "मंत्रिमंडल की तानाशाही" या "प्रधानमंत्रीय शासन" (Prime Ministerial Government) की बात कही है। जब किसी एक दल को संसद में स्पष्ट और बड़ा बहुमत मिल जाता है, तो संसद सरकार पर नियंत्रण करने के स्थान पर सरकार के निर्णयों पर केवल 'रबर स्टैंप' लगाने वाली संस्था बनकर रह जाती है।

निष्कर्ष

ब्रिटेन में कार्यपालिका और विधायिका का संबंध एक-दूसरे के विरोध का नहीं, बल्कि सहयोग और संलयन का है। प्रोफेसर लास्की के शब्दों में, "मंत्रिमंडल वह हाइफन (Junction) है जो कार्यपालिका और विधायिका को आपस में जोड़ता है।" यद्यपि आधुनिक दौर में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का पलड़ा भारी हो गया है, फिर भी संसद में विपक्ष की मौजूदगी

और जनमत का डर सरकार को पूरी तरह निरंकुश होने से रोकता है।

39. अमेरिकी संविधान की सर्वप्रमुख विशेषताएं क्या हैं? यह ब्रिटिश संविधान से किस प्रकार भिन्न है?

प्रस्तावना

1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन (Philadelphia Convention) द्वारा निर्मित अमेरिकी संविधान विश्व का पहला लिखा हुआ और सबसे पुराना क्रियाशील लोकतांत्रिक संविधान है। यह अमेरिकी क्रांति के स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकारों और निरंकुशता के विरोध के आदर्शों पर निर्मित किया गया है।

1. अमेरिकी संविधान की सर्वप्रमुख विशेषताएं

(क) लिखित और संक्षिप्त संविधान

अमेरिकी संविधान एक अत्यंत लिखित और संक्षिप्त दस्तावेज है। इसमें केवल एक प्रस्तावना और 7 अनुच्छेद (Articles) हैं। इसे मात्र आधा घंटे में पढ़ा जा सकता है। इसमें केवल मूल ढांचा दिया गया है, और बाकी का विस्तार न्यायिक व्याख्याओं और परंपराओं से हुआ है।

(ख) अत्यधिक कठोर संविधान (Rigid Constitution)

अमेरिकी संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान है। इसमें संशोधन करना अत्यंत कठिन है। संशोधन के लिए:

1. कांग्रेस के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए।

2. देश के कुल राज्यों में से कम से कम 3/4 राज्यों की विधायिकाओं द्वारा उसकी पुष्टि (Ratification) होनी

अनिवार्य है। यही कारण है कि पिछले 230 से अधिक वर्षों में केवल 27 संशोधन ही हो पाए हैं।

(ग) संघात्मक शासन प्रणाली (Federal System)

अमेरिका एक आदर्श संघवाद का उदाहरण है। इसमें केंद्र (संघ) और 50 राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। राज्यों के अपने अलग संविधान और न्यायपालिका हैं। नागरिकों को दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship)—एक अमेरिका की और दूसरी अपने संबंधित राज्य की—प्राप्त है।

(घ) शक्तियों का पृथक्करण तथा नियंत्रण एवं संतुलन
संविधान सरकार के तीनों अंगों (कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका) को एक-दूसरे से पूरी तरह अलग करता है, और साथ ही 'नियंत्रण व संतुलन' के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी अंग निरंकुश न बने।

(ङ) न्यायिक सर्वोच्चता (Judicial Supremacy)

अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। इसे 'न्यायिक पुनरावलोकन' (Judicial Review) की शक्ति प्राप्त है, जिससे यह विधायिका के किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है।

2. अमेरिकी और ब्रिटिश संविधान में अंतर

अमेरिकी और ब्रिटिश संविधान दो विपरीत लोकतांत्रिक मॉडलों का प्रतिनिधित्व करते हैं:

| क्र.सं. | तुलना का आधार | अमेरिकी संविधान | ब्रिटिश संविधान |

|---|---|---|---|

| 1. | उत्पत्ति | निर्मित और लिखित (1787 में रचित)। | विकसित और मुख्य रूप से अलिखित। |

| 2. | संशोधन प्रक्रिया | अत्यंत कठोर (3/4 राज्यों की सहमति आवश्यक)। | अत्यंत लचीला (साधारण बहुमत से संशोधन)। |

| 3. | शासन का रूप | अध्यक्षतात्मक (Presidential System)। | संसदात्मक (Parliamentary System)। |

| 4. | राज्य का ढांचा | संघात्मक (Federal System - 50 राज्य)। | एकात्मक (Unitary System)। |

| 5. | सर्वोच्चता | संवैधानिक और न्यायिक सर्वोच्चता। | संसदीय सर्वोच्चता (Parliament is Supreme)। |

| 6. | नागरिकता | दोहरी नागरिकता। | एकल नागरिकता। |
निष्कर्ष

जहाँ ब्रिटिश संविधान ऐतिहासिक परंपराओं और संसद की असीमित शक्तियों पर टिका हुआ एक लचीला ढांचा है, वहीं अमेरिकी संविधान लिखित मौलिक अधिकारों, कठोर संघवाद और न्यायिक सर्वोच्चता पर आधारित एक संतुलित प्रजातांत्रिक मॉडल है। दोनों प्रणालियों ने अपने-अपने समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप लोकतंत्र को सफलतापूर्वक संचालित किया है।

40. "अमेरिकी राष्ट्रपति विश्व का सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक शासक है।" इस कथन के संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों एवं स्थिति की विवेचना कीजिए।

प्रस्तावना

अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद ॥ में कहा गया है कि: "समस्त कार्यपालिका शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होंगी।" प्रसिद्ध इतिहासकार और राजनीतिक विश्लेषक हेरोल्ड लास्की ने लिखा था कि:

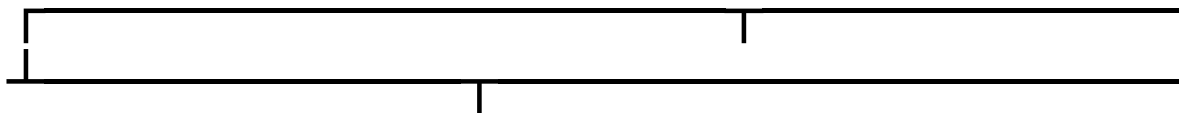
"अमेरिकी राष्ट्रपति का पद विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश के संवैधानिक प्रमुख से अधिक शक्तिशाली है।" वह एक ही समय में राज्य का प्रमुख (Head of State) और सरकार का प्रमुख (Head of Government) दोनों होता है।

1. अमेरिकी राष्ट्रपति की विस्तृत शक्तियां

...

अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां

|



7

▼	▼	▼	▼
कार्यपालक शक्तियां सैन्य (नियुक्तियां, कानून (सेनाध्यक्ष, (क्षमादान, न्यायाधीशों लागू करना) की नियुक्ति)	विधायी शक्तियां न्यायिक शक्तियां (वीटो पावर, स्टेट ऑफ (क्षमादान, न्यायाधीशों द यूनियन संदेश)	कूटनीतिक व शक्तियां (विदेश नीति)	

...

(क) कार्यपालक शक्तियां (Executive Powers)

कानूनों का क्रियान्वयन: राष्ट्रपति देश के सभी संघीय कानूनों को लागू करने के लिए सर्वोच्च रूप से जिम्मेदार है।

नियुक्तियां करने का अधिकार: वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राजदूतों, संघीय अधिकारियों और अपने

मंत्रियों (मंत्रिमंडल सचिवों) की नियुक्ति करता है। (यद्यपि महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है)।

मंत्रिमंडल का स्वामी: अमेरिका में मंत्रिमंडल (Cabinet) केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी "परामर्शदात्री समिति" (President's Kitchen Cabinet) है। राष्ट्रपति अपने मंत्रियों को कभी भी पद से हटा सकता है।

(घ) कूटनीतिक और सैन्य शक्तियां (Foreign & Military Powers)

सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर (Commander-in-Chief): राष्ट्रपति अमेरिकी थल, जल और नभ सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। यद्यपि युद्ध की घोषणा का अधिकार कांग्रेस के पास है, लेकिन राष्ट्रपति सेनाओं को विश्व में कहीं भी भेजकर व्यावहारिक युद्ध जैसी स्थितियां पैदा कर सकता है।

विदेश नीति का निर्धारण: वह अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य सूत्रधार है। वह अन्य देशों के साथ संधियां और 'कार्यपालक समझौते' (Executive Agreements) करता है।

(ग) विधायी शक्तियां (Legislative Powers)

यद्यपि अमेरिका में शक्तियों का पृथक्करण है और राष्ट्रपति कांग्रेस का सदस्य नहीं होता, फिर भी वह विधायिका को बहुत गहराई से प्रभावित करता है:

वीटो शक्ति (Veto Power): कांग्रेस द्वारा पारित किसी भी विधेयक को रोकने के लिए राष्ट्रपति 'सस्पेंसिव वीटो' और 'पॉकेट वीटो' का प्रयोग कर सकता है।

स्टेट ऑफ द यूनियन संदेश: राष्ट्रपति कांग्रेस को संदेश भेजकर नए कानून बनाने का सुझाव दे सकता है।

2. राष्ट्रपति की शक्तियों पर संवैधानिक और व्यावहारिक सीमाएं

राष्ट्रपति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह तानाशाही नहीं कर सकता। उस पर निम्नलिखित नियंत्रण हैं:

1. कांग्रेस का नियंत्रण (सीनेट की भूमिका): राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों को 2/3 सीनेट बहुमत और उच्च पदों की नियुक्तियों को साधारण सीनेट बहुमत से पास होना अनिवार्य है।

2. बजट पर कांग्रेस का अधिकार: यदि कांग्रेस धन आवंटित न करे, तो राष्ट्रपति कोई भी नई नीति लागू नहीं कर सकता (इसे Shutdown की स्थिति कहते हैं)।

3. न्यायिक पुनरावलोकन: सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के किसी भी गैर-संवैधानिक आदेश को रद्द कर सकता है।

4. महाभियोग (Impeachment): कांग्रेस राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन या गंभीर अपराध के आरोप में पद से हटा सकती है।

3. राष्ट्रपति की स्थिति का मूल्यांकन: वह शक्तिशाली क्यों है?

अमेरिकी राष्ट्रपति की वास्तविक शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि पद पर बैठा व्यक्ति कैसा है (जैसे अब्राहम लिंकन, एफ.डी. रूजवेल्ट या जे.एफ. केनेडी) तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कैसी हैं। युद्ध, आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के समय राष्ट्रपति की शक्तियां असीमित रूप से बढ़ जाती हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, अमेरिकी राष्ट्रपति एक निरंकुश राजा नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के दायरे में रहते हुए वह विश्व का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली जननायक है। जैसा कि सी. हरमन प्राइडन ने कहा था: "अमेरिकी राष्ट्रपति पद से बड़ा, अधिक गरिमापूर्ण और अधिक शक्तिशाली कोई अन्य लोकतांत्रिक पद इस पृथ्वी पर नहीं है।"

41. अमेरिकी कांग्रेस (संसद) की रचना एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। यह ब्रिटेन की संसद से किस प्रकार भिन्न है?

प्रस्तावना

अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, "संविधान द्वारा प्रदान की गई समस्त विधायी शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका की 'कांग्रेस' (Congress) में निहित होंगी।" अमेरिकी कांग्रेस एक द्विसदनीय (Bicameral) विधायिका है, जो दो सदनों से मिलकर बनती है:

1. प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) - निचला सदन

2. सीनेट (Senate) - उच्च सदन

1. अमेरिकी कांग्रेस की रचना और ढांचा

(क) प्रतिनिधि सभा (House of Representatives)

प्रतिनिधित्व: यह संपूर्ण अमेरिकी जनता का प्रतिनिधित्व करती है।

सदस्य संख्या व कार्यकाल: वर्तमान में इसके 435 सदस्य हैं, जो जनसंख्या के आधार पर राज्यों से चुने जाते हैं। इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है।

विशेष शक्ति: सभी धन विधेयक (Money Bills) केवल इसी सदन में पहले पेश किए जा सकते हैं।

(ख) सीनेट (Senate)

प्रतिनिधित्व: यह संघ के 50 राज्यों की समानता का प्रतिनिधित्व करती है।

सदस्य संख्या व कार्यकाल: प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य चुने जाते हैं, चाहे राज्य छोटा हो या बड़ा। अतः सीनेट में कुल 100 सदस्य हैं। यह एक स्थाई सदन है जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है (प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं)।

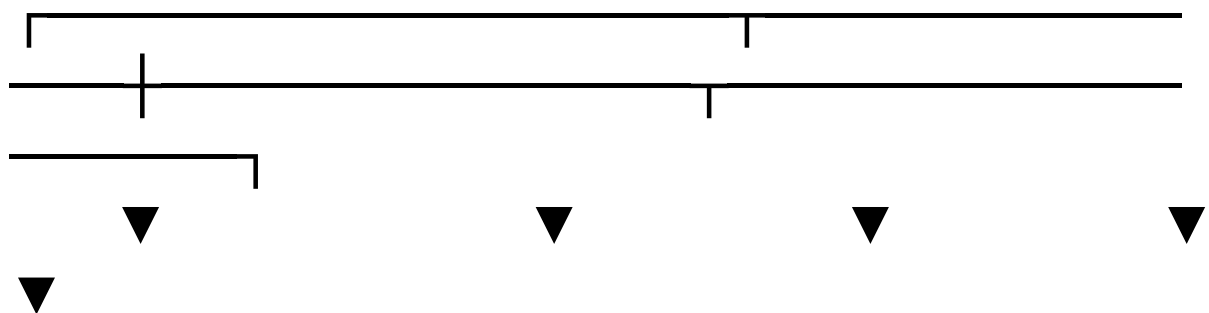
दुनिया का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन: सामान्यतः दुनिया में उच्च सदन (जैसे ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड्स) कमजोर होते हैं, लेकिन अमेरिकी सीनेट दुनिया का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है।

2. अमेरिकी कांग्रेस की प्रमुख शक्तियां

...

अमेरिकी कांग्रेस की शक्तियां

|



कानून निर्माण की शक्ति	वित्तीय शक्तियां	युद्ध की
घोषणा कार्यपालिका पर	संविधान संशोधन	

(विधायिका का मूल कार्य) (कराधान व बजट पास
(Declaration of नियंत्रण (सीनेट की की शक्ति
करना) War) स्वीकृति व
महाभियोग)

...

1. विधि निर्माण की शक्ति: दोनों सदनों द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है।

2. वित्तीय शक्ति: "बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं" (No Taxation without Representation) के सिद्धांत के तहत कराधान और बजट को मंजूरी देने का काम कांग्रेस करती है।

3. जांच और नियंत्रण की शक्ति: कांग्रेस विभिन्न समितियों के माध्यम से सरकारी विभागों की गड़बड़ियाँ और भ्रष्टाचार की जांच कर सकती है।

4. महाभियोग की शक्ति: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों को पद से हटाने का अधिकार कांग्रेस को है।

3. अमेरिकी कांग्रेस और ब्रिटिश संसद में तुलना
यद्यपि दोनों ही लोकतांत्रिक देशों की विधायिकाएं हैं, लेकिन उनकी प्रकृति में मौलिक अंतर हैं:

| तुलना का बिंदु | अमेरिकी कांग्रेस (Congress) | ब्रिटिश संसद (British Parliament) |

|---|---|---|

| 1. संप्रभुता/सर्वोच्चता | सीमित शक्ति: यह संविधान के अधीन है और इसके कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर

सकता है। | असीमित संप्रभुता: यह कानूनी रूप से सर्वोच्च है; इसके कानूनों को अदालतें चुनौती नहीं दे सकतीं। |

| 2. कार्यपालिका से संबंध | शक्तियों का पृथक्करण: राष्ट्रपति और उसके मंत्री कांग्रेस के सदस्य नहीं होते। | कार्यपालिका का संलयन: प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल संसद के ही सदस्य होते हैं। |

| 3. उच्च सदन (सीनेट vs लॉर्ड्स) | अत्यधिक शक्तिशाली: सीनेट को संधियों की स्वीकृति, नियुक्तियों की पुष्टि और महाभियोग की शक्ति प्राप्त है। | अत्यंत कमजोर: हाउस ऑफ लॉर्ड्स केवल विधेयकों को 1 वर्ष के लिए टाल सकता है, रोक नहीं सकता। |

| 4. सदन को भंग करना | राष्ट्रपति कांग्रेस या उसके किसी सदन को समय से पूर्व भंग नहीं कर सकता। | प्रधानमंत्री की सलाह पर सम्राट हाउस ऑफ कॉमन्स को भंग कर सकता है। |

निष्कर्ष

ब्रिटिश संसद जहाँ देश की सर्वोपरि सत्ता का केंद्र है और कार्यपालिका पर सीधा नियंत्रण रखती है, वहीं अमेरिकी कांग्रेस 'शक्ति पृथक्करण' के तहत कार्यपालिका से स्वतंत्र रहकर मुख्य रूप से कानून निर्माण, बजट नियंत्रण और सीनेट के माध्यम से राष्ट्रपति की शक्तियों को संतुलित करने का कार्य करती है।

42. अमेरिका में "शक्ति पृथक्करण" एवं "नियंत्रण और संतुलन" के सिद्धांतों की व्यावहारिक कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रस्तावना

अमेरिकी संविधान निर्माताओं (जैसे जेम्स मैडिसन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन) का मानना था कि यदि शासन की सभी शक्तियां किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथों में केंद्रित हो जाएं, तो तानाशाही का जन्म होता है। फ्रांसीसी दार्शनिक मोंटेस्क्यू के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने अमेरिकी संविधान को दो मुख्य स्तंभों पर खड़ा किया:

1. शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत (Theory of Separation of Powers)

2. नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत (Theory of Checks and Balances)

1. शक्ति पृथक्करण (Separation of Powers)
संविधान के प्रथम तीन अनुच्छेदों में सरकार के तीनों अंगों के बीच कार्यों और शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है:

अनुच्छेद I: विधायी शक्ति → कांग्रेस को।

अनुच्छेद II: कार्यपालक शक्ति → राष्ट्रपति को।

अनुच्छेद III: न्यायिक शक्ति → सर्वोच्च न्यायालय को।

इसके तहत राष्ट्रपति कांग्रेस का सदस्य नहीं होता और न ही वह कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है। इसी तरह, न्यायाधीशों का कार्यकाल स्वतंत्र होता है।

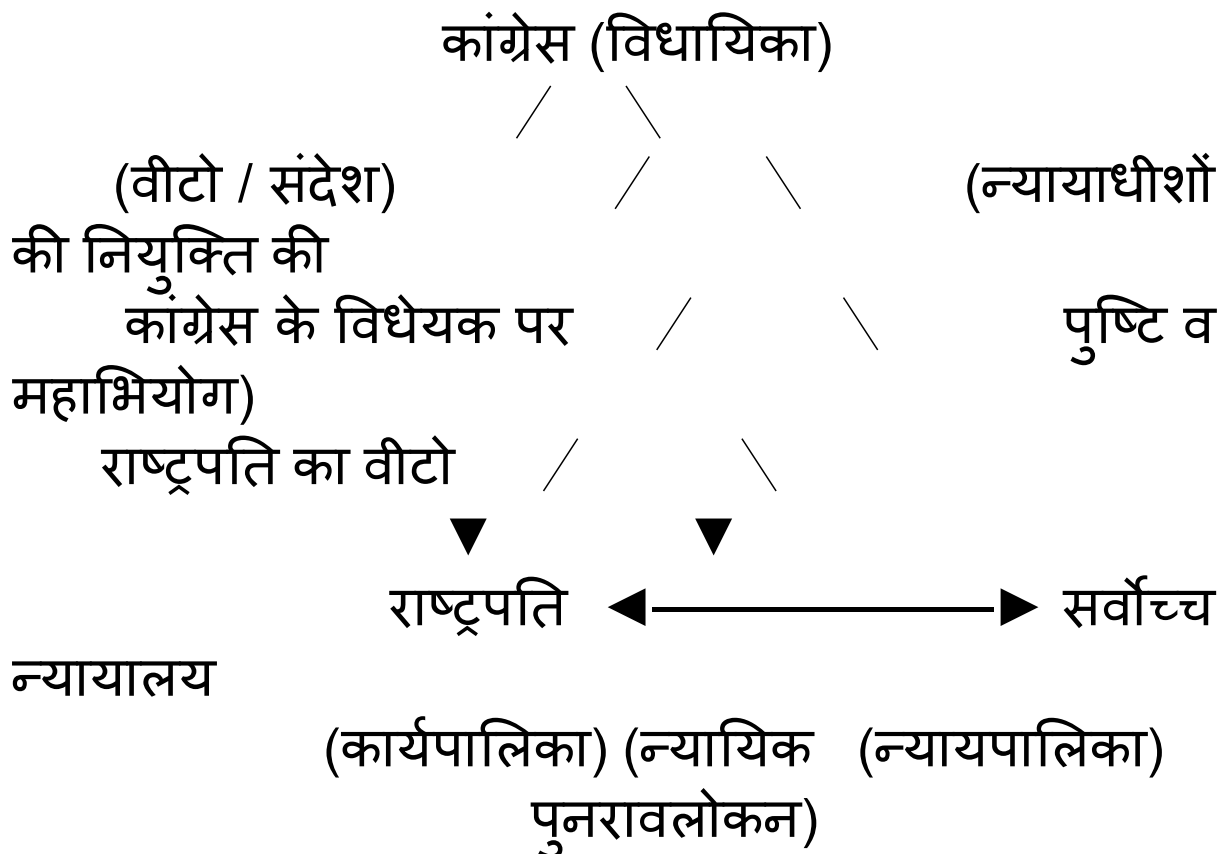
2. नियंत्रण एवं संतुलन की व्यावहारिक कार्यप्रणाली (Checks and Balances)

यदि शक्ति पृथक्करण को कठोरता से लागू कर दिया जाता, तो तीनों अंग एक-दूसरे से पूरी तरह कट जाते और सरकार में गतिरोध (Deadlock) पैदा हो जाता। इसलिए, संविधान

निर्माताओं ने प्रत्येक अंग को दूसरे अंग को 'नियंत्रित' करने की शक्ति दी ताकि एक संतुलन बना रहे।

...

नियंत्रण एवं संतुलन का त्रिकोण (USA)



...

(क) कार्यपालिका (राष्ट्रपति) पर नियंत्रण

कांग्रेस का नियंत्रण: राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों और विदेश संधियों पर सीनेट की स्वीकृति अनिवार्य है। युद्ध की घोषणा केवल कांग्रेस कर सकती है। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे, तो कांग्रेस उस पर महाभियोग चला सकती है।

न्यायपालिका का नियंत्रण: सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के किसी भी गैर-संवैधानिक आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सकता है।

(ख) विधायिका (कांग्रेस) पर नियंत्रण

राष्ट्रपति का नियंत्रण: कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों को रोकने के लिए राष्ट्रपति 'वीटो पावर' का प्रयोग कर सकता है।

न्यायपालिका का नियंत्रण: सर्वोच्च न्यायालय अपने 'न्यायिक पुनरावलोकन' (Judicial Review) के अधिकार द्वारा कांग्रेस के किसी भी कानून को रद्द कर सकता है।

(ग) न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय) पर नियंत्रण

राष्ट्रपति व कांग्रेस का नियंत्रण: न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की सहमति से की जाती है। कांग्रेस न्यायाधीशों की संख्या तय कर सकती है और गलत आचरण पर उन्हें महाभियोग द्वारा हटा सकती है।

3. व्यावहारिक कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक परीक्षण
यद्यपि यह प्रणाली तानाशाही को रोकने में पूरी तरह सफल रही है, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसकी कई आलोचनाएं भी की जाती हैं:

1. शासन में गतिरोध और अक्षमता (Gridlock/Deadlock): जब राष्ट्रपति किसी एक दल (उदा. डेमोक्रेट) का हो और कांग्रेस में बहुमत दूसरे दल (उदा. रिपब्लिकन) का हो, तो दोनों अंग एक-दूसरे के काम में अड़ंगा लगाते हैं। इससे नीति-निर्माण ठप हो जाता है और 'गवर्नमेंट शटडाउन' की नौबत आ जाती है।

2. दलीय व्यवस्था का प्रभाव: दलीय निष्ठाओं ने शक्ति पृथक्करण की दीवार को कमजोर किया है। जब राष्ट्रपति और कांग्रेस दोनों जगह एक ही दल का बहुमत होता है, तो नियंत्रण और संतुलन के साधन ढीले पड़ जाते हैं।

3. उत्तरदायित्व तय करने में कठिनाई: यदि कोई नीति असफल होती है, तो राष्ट्रपति उसका दोष कांग्रेस पर मढ़ देता है और कांग्रेस राष्ट्रपति पर। जनता यह समझ नहीं पाती कि असफलता के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए।

निष्कर्ष

तमाम व्यावहारिक कमियों के बावजूद, अमेरिकी संविधान निर्माताओं का मुख्य लक्ष्य "एक कुशल सरकार बनाने से अधिक एक ऐसी सरकार बनाना था जो नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन न कर सके।" इस कसौटी पर शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत पिछले दो शताब्दियों से अमेरिका में स्वतंत्रता और स्थिरता की गारंटी बना हुआ है।

43. अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के गठन, शक्तियों और "न्यायिक पुनरावलोकन" की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

प्रस्तावना

अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद III द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of the United States - SCOTUS) विश्व की सबसे अधिक शक्तिशाली न्यायपालिका मानी जाती है। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ सी. हरमन प्राइन के अनुसार, "अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय केवल एक अदालत नहीं है, बल्कि वह संविधान का निरंतर

चलने वाला सम्मेलन (Constitutional Convention in Continuous Session) है।"

1. सर्वोच्च न्यायालय का गठन

सदस्य संख्या: अमेरिकी संविधान में न्यायाधीशों की संख्या तय नहीं की गई थी। वर्तमान में कांग्रेस के कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) और 8 अन्य न्यायाधीश (कुल 9 न्यायाधीश) हैं।

नियुक्ति प्रक्रिया: न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसे सीनेट का बहुमत स्वीकृत करता है।

कार्यकाल व पदच्युति: अमेरिकी न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित वर्षों का नहीं होता; वे "सदाचरण के दौरान" (During Good Behavior) जीवन भर अपने पद पर बने रह सकते हैं। उन्हें केवल कांग्रेस द्वारा महाभियोग (Impeachment) चलाकर ही हटाया जा सकता है।

2. सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां

1. प्रारंभिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction): वे मामले जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आ सकते हैं—जैसे दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, या विदेशी राजदूतों से जुड़े मामले।

2. अपील्य क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction): यह निचले राज्यों के सर्वोच्च न्यायालयों या संघीय अपील न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनता है।

3. न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) और उसकी भूमिका

(क) न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ

न्यायिक पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय की वह शक्ति है जिसके तहत वह कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों और राष्ट्रपति के आदेशों की संवैधानिक जांच करता है। यदि कोई कानून संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय उसे 'अवैध' और 'शून्य' (Null and Void) घोषित कर देता है।

(ख) उत्पत्ति: मार्बरी बनाम मेडिसन मामला (1803)
संविधान के मूल पाठ में 'न्यायिक पुनरावलोकन' शब्द का सीधा उल्लेख नहीं था। इस शक्ति की स्थापना 1803 में प्रसिद्ध 'मार्बरी बनाम मेडिसन' (Marbury v. Madison) मामले में मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल (John Marshall) ने की थी। उन्होंने निर्णय दिया कि: "संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और यह तय करना न्यायपालिका का काम है कि कोई कानून संविधान के अनुकूल है या नहीं।"

न्यायिक पुनरावलोकन का आधार

|

▼		▼
संविधान	की	सर्वोच्चता
"कानून की उचित प्रक्रिया"		
(संविधान	से	ऊपर कोई कानून नहीं)
(Due Process of Law - 5वां व 14वां संशोधन)		

...

(ग) "कानून की उचित प्रक्रिया" (Due Process of Law) का प्रयोग

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय केवल यह नहीं देखता कि कानून बनाने में सही प्रक्रिया अपनाई गई है या नहीं, बल्कि वह यह भी देखता है कि कानून "न्यायसंगत, तर्कसंगत और मानवीय" है या नहीं। इस आधार पर न्यायालय ने अमेरिका के सामाजिक और आर्थिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है (उदा. दास प्रथा समाप्त करना, नागरिक अधिकार देना, गर्भपात का अधिकार आदि)।

4. सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का मूल्यांकन: आलोचना एवं महत्व

(क) आलोचना

"तीसरा सदन" (Third Chamber): आलोचकों का तर्क है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अनिर्वाचित संस्था होकर भी जनता द्वारा चुनी गई कांग्रेस के कानूनों को रद्द कर देती है, जिससे यह 'तीसरे विधायी सदन' की तरह काम करने लगती है।

न्यायिक अतिसक्रियता (Judicial Activism): न्यायाधीश अक्सर अपनी निजी राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा के आधार पर फैसले सुनाते हैं।

(ख) महत्व

संविधान का संरक्षक: यह शक्ति संतुलन बनाए रखता है और राज्यों के अधिकारों की रक्षा संघ से करता है।

मौलिक अधिकारों की ढाल: इसने अश्वेतों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय अमेरिकी संवैधानिक प्रणाली का एक अनिवार्य संतुलन चक्र है। ब्राइस के शब्दों में, "सर्वोच्च न्यायालय अमेरिकी संविधान का मुख्य पहरेदार और देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है।"

44. चीन के 1982 के संविधान की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।

प्रस्तावना

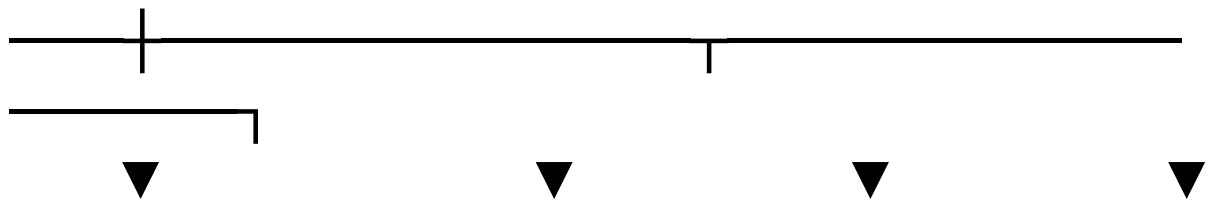
जनवादी गणराज्य चीन (PRC) में 1949 की साम्यवादी क्रांति के बाद से अब तक चार संविधान (1954, 1975, 1978 और 1982) लागू किए जा चुके हैं। वर्तमान संविधान 4 दिसंबर 1982 को 'राष्ट्रीय जन कांग्रेस' (National People's Congress - NPC) द्वारा अपनाया गया था। यह संविधान माओ त्से-तुंग की मृत्यु के बाद डेंग शियाओपिंग द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों और आधुनिकीकरण के दौर का प्रतिनिधित्व करता है।

1982 के चीनी संविधान की प्रमुख विशेषताएं

...

1982 के चीनी संविधान की मुख्य विशेषताएं

|



साम्यवादी दल की सर्वोपरिता जनवादी लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक केंद्रवाद समाजवादी बाजार नागरिकों के
कर्तव्य

(CPC का एकाधिकार) ताशाही (Dictatorship)
(Democratic अर्थव्यवस्था व अधिकार
Centralism)

(1993 संशोधन)

...

1. लिखित और अपेक्षाकृत कठोर संविधान
1982 का संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें एक
प्रस्तावना और 138 अनुच्छेद (जो 4 अध्यायों में बंटे हैं) हैं।
इसमें संशोधन के लिए राष्ट्रीय जन कांग्रेस (NPC) के कुल
सदस्यों के दो-तिहाई (2/3) बहुमत की आवश्यकता होती है।

2. साम्यवादी दल (CPC) की सर्वोपरिता और नेतृत्व
संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से
घोषणा की गई है कि चीन की राजनीतिक व्यवस्था का
नेतृत्व 'चीनी साम्यवादी दल' (Communist Party of
China) करेगा। चीन में बहुदलीय लोकतंत्र नहीं है। यद्यपि
8 अन्य छोटे दल मौजूद हैं, लेकिन वे साम्यवादी दल के पूर्ण
नियंत्रण (Patronage) के तहत काम करते हैं।

3. जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही (People's Democratic Dictatorship)

संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार: "जनवादी गणराज्य चीन श्रमिकों और किसानों के गठबंधन पर आधारित जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है।" इसका अर्थ यह है कि आम जनता (श्रमिकों/किसानों) के लिए लोकतंत्र है, लेकिन "क्रांति-विरोधी" और राज्य के दुश्मनों के लिए पार्टी की तानाशाही है।

4. लोकतांत्रिक केंद्रवाद (Democratic Centralism)

अनुच्छेद 3 के अनुसार, चीन के सभी राज्य अंग 'लोकतांत्रिक केंद्रवाद' के सिद्धांत को लागू करते हैं। इसका व्यावहारिक अर्थ है:

लोकतंत्र: निचले स्तर पर बैठकों और चर्चाओं का आभास।

केंद्रवाद: एक बार जब शीर्ष नेतृत्व (पार्टी हाइकमान) कोई निर्णय ले लेता है, तो निचले सभी अंगों और नागरिकों को उसका बिना शर्त पालन करना अनिवार्य होता है।

5. एकात्मक राज्य व्यवस्था (Unitary State)

चीन एक विशाल देश होने के बावजूद एक एकात्मक राज्य है। सभी प्रांतों, स्वायत्त क्षेत्रों (जैसे तिब्बत, शिनजियांग) और नगर पालिकाओं पर बीजिंग स्थित केंद्रीय सरकार और साम्यवादी दल का पूर्ण और प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है।

6. "एकल-सदनीय" संसद: राष्ट्रीय जन कांग्रेस (NPC)

संविधान के अनुसार 'राष्ट्रीय जन कांग्रेस' (NPC) राज्य की सर्वोच्च सत्ता संस्था है। यह एक सदनीय विधायिका है जिसमें लगभग 3,000 प्रतिनिधि होते हैं। हालांकि, व्यावहारिक रूप से यह वर्ष में केवल एक बार कुछ दिनों के

लिए मिलती है और साम्यवादी दल के फैसलों पर मोहर लगाती है।

7. नागरिकों के अधिकार और 'कर्तव्यों' पर बल
संविधान के अध्याय 2 में नागरिकों को भाषण, प्रेस, और सभा करने के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ये अधिकार "समाजवादी हित" के अधीन हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान में अधिकारों के साथ-साथ नागरिकों के कर्तव्यों (जैसे राज्य की रक्षा करना, मातृभूमि के प्रति वफादार रहना, और साम्यवादी अनुशासन का पालन करना) पर विशेष जोर दिया गया है।

8. 'समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था' का समावेश (बाद के संशोधन)

1993 और 2004 के संशोधनों के माध्यम से संविधान में 'निजी संपत्ति के अधिकार' और 'माक्रसवादी-लेनिनवादी माओवादी विचारधारा' के साथ-साथ 'डेंग शियाओपिंग विचार' व 'शी जिनपिंग विचार' को भी शामिल किया गया।

निष्कर्ष

1982 का चीनी संविधान पश्चिमी liberal-democratic संविधानों से बिल्कुल भिन्न है। यह कानूनी रूप से सत्ता के ढांचे को रेखांकित करता है, लेकिन इसका वास्तविक संचालन साम्यवादी दल की विचारधारा और उसके शीर्ष नेतृत्व की मुट्ठी में निहित है।

45. चीन की राजनीतिक व्यवस्था में चीनी साम्यवादी दल (CPC) की संगठनात्मक संरचना, भूमिका और प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण कीजिए।

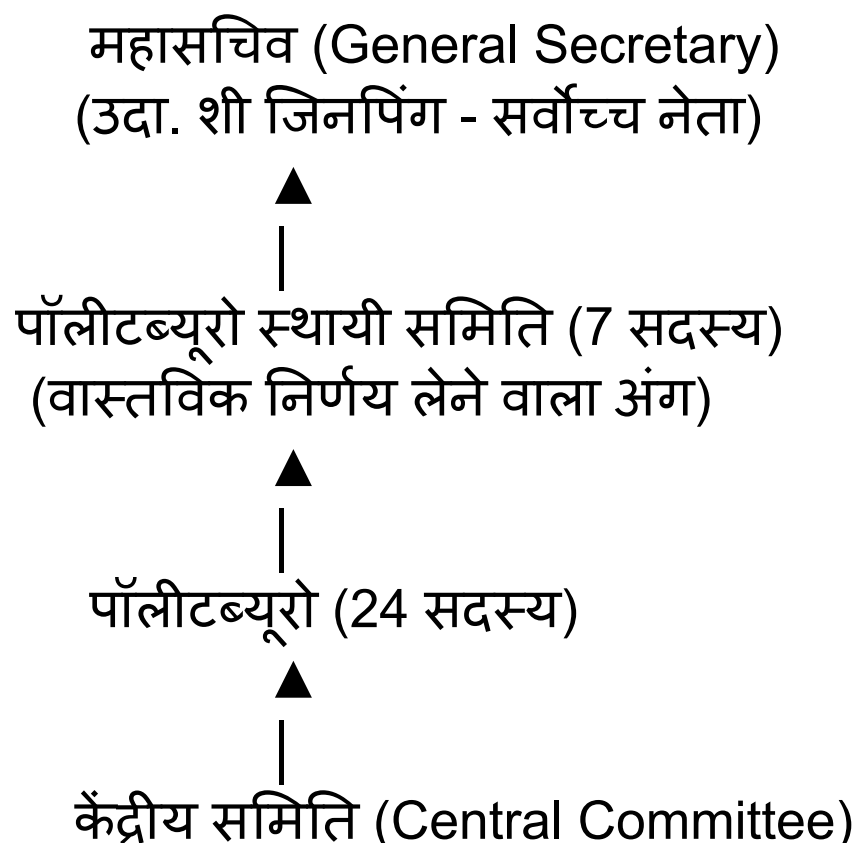
प्रस्तावना

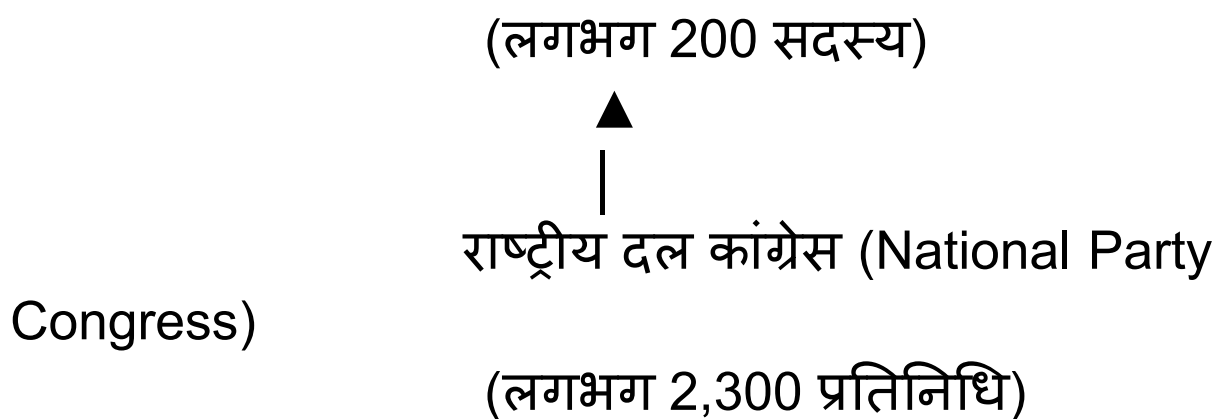
जनवादी गणराज्य चीन की राजनीतिक प्रणाली को समझने की कुंजी 'चीनी साम्यवादी दल' (Communist Party of China - CPC) है। चीन में यह कहावत पूरी तरह सच है कि "दल ही सरकार है, और सरकार ही दल है।" 1921 में स्थापित और 1949 से सत्ता पर काबिज यह दल विश्व का सबसे बड़ा और शक्तिशाली राजनीतिक संगठन (लगभग 9.8 करोड़ सदस्य) है।

1. चीनी साम्यवादी दल (CPC) का सांगठनिक ढांचा CPC का संगठन पूरी तरह से पिरामिडनुमा है, जो 'लोकतांत्रिक केंद्रवाद' के सिद्धांत पर आधारित है। सत्ता नीचे से ऊपर की ओर केंद्रित होती जाती है:

...

साम्यवादी दल (CPC) का शीर्ष सत्ता ढांचा





...

1. राष्ट्रीय दल कांग्रेस (National Party Congress): यह पार्टी की संस्थागत सभा है जो हर 5 वर्ष में एक बार मिलती है।

2. केंद्रीय समिति (Central Committee): यह दल कांग्रेस द्वारा चुनी जाती है और वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करती है।

3. पॉलीटब्यूरो (Politburo) और उसकी स्थायी समिति (Standing Committee): यह चीन का वास्तविक सत्ता केंद्र है। स्थायी समिति के 7 सदस्य पूरे देश की आंतरिक, विदेशी और आर्थिक नीतियों का निर्धारण करते हैं।

4. पार्टी महासचिव (General Secretary): वह साम्यवादी दल का प्रमुख होता है, और वही व्यक्ति सामान्यतः देश का राष्ट्रपति और केन्द्रीय सैन्य आयोग (CMC) का अध्यक्ष (सेना प्रमुख) भी होता है।

2. चीनी राजनीति में साम्यवादी दल की भूमिका
CPC केवल एक राजनीतिक दल नहीं है जो चुनाव लड़ता है, बल्कि यह चीन की सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था का 'मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र' है:

(क) सत्ता के सभी अंगों पर पूर्ण नियंत्रण (Overlapping Appointments)

चीन में सरकार के तीन पारंपरिक अंगों—विधायिका (NPC), कार्यपालिका (राज्य परिषद), और न्यायपालिका—तथा सशस्त्र बलों (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी - PLA) का नेतृत्व साम्यवादी दल के वरिष्ठ कैडरों द्वारा ही किया जाता है। सेना देश की नहीं, बल्कि पार्टी की सेना है।

(ख) नीति-निर्माता की प्राथमिक भूमिका

चीन में राज्य के कानून और नीतियां संसद (NPC) या मंत्रियों द्वारा नहीं बनाई जातीं। नीतियां पहले पार्टी की 'पॉलीटब्यूरो स्थायी समिति' में तय होती हैं, और उसके बाद संसद केवल औपचारिक रूप से उन्हें कानूनी रूप देती है।

(ग) 'नामांकन' (Nomenklatura) प्रणाली

चीन में प्रत्येक महत्वपूर्ण पद—चाहे वह राज्य का राष्ट्रपति हो, किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो, किसी सरकारी कंपनी (SOE) का सीईओ हो या समाचार पत्र का संपादक हो—की नियुक्ति साम्यवादी दल के 'संगठन विभाग' की पूर्व स्वीकृति से ही होती है।

3. साम्यवादी दल का समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

वैचारिक और सूचनात्मक नियंत्रण: पार्टी इंटरनेट (ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना), सोशल मीडिया, समाचार पत्रों और शिक्षा प्रणाली पर कड़ा सेंसरशिप बनाए रखती है ताकि पार्टी विरोधी कोई भी विचार पनप न सके।

आर्थिक विकास का चालक: डेंग शियाओपिंग के बाद से पार्टी ने आर्थिक प्रगति को ही अपनी वैधता (Legitimacy) का मुख्य आधार बनाया है। गरीबी उन्मूलन और

इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में पार्टी कैडरों की सीधी जवाबदेही होती है।

विरोध का दमन: 1989 के तियानमेन स्क्वायर आंदोलन की तरह, पार्टी अपने एकाधिकार को चुनौती देने वाले किसी भी राजनीतिक विरोध या मानव अधिकार आंदोलन को कड़ाई से कुचल देती है।

निष्कर्ष

संक्षेप में, चीन में साम्यवादी दल संवैधानिक ढाँचे से परे जाकर संपूर्ण राज्य और समाज को संचालित करता है। प्रोफेसर एलन बॉल के शब्दों में, "चीन में राज्य दल का एक उपकरण मात्र है।" जब तक पार्टी का एकाधिकार कायम है, तब तक चीन में पश्चिमी शैली के उदारवादी लोकतंत्र की संभावना नगण्य है।

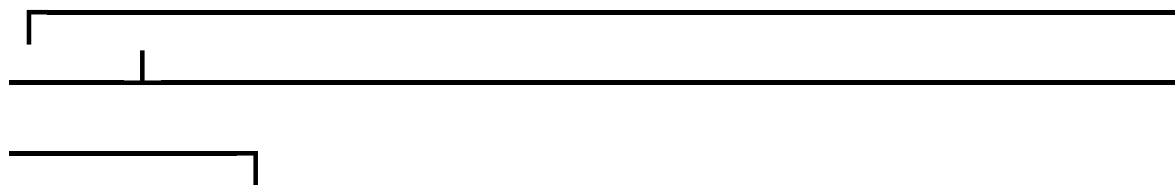
46. "एक देश, दो व्यवस्था" (One Country, Two Systems) की अवधारणा क्या है? हांगकांग और मकाऊ के संदर्भ में इसका व्यावहारिक मूल्यांकन कीजिए।

प्रस्तावना

"एक देश, दो व्यवस्थाएं" (One Country, Two Systems - 一国两制) जनवादी गणराज्य चीन की एक अत्यंत अनूठी, व्यावहारिक और नवोन्मेषी संवैधानिक व्यवस्था है। इस अवधारणा का प्रतिपादन 1980 के दशक की शुरुआत में चीन के शीर्ष नेता डेंग शियाओपिंग (Deng Xiaoping) द्वारा किया गया था। इसका मूल उद्देश्य चीन के उन ऐतिहासिक क्षेत्रों का शांतिपूर्ण पुनरेकीकरण (Reunification) करना था जो यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के नियंत्रण में थे।

///

1



चीन की संप्रभुता व प्रादेशिक अखंडता सर्वोपरि है
मुख्य भूमि: समाजवादी व्यवस्था
(विदेश नीति व रक्षा बीजिंग के पास)
हांगकांग/मकाऊ: 50 वर्षों के लिए पूंजीवादी व्यवस्था

///

2. दो व्यवस्थाएं (Two Systems): मुख्य भूमि चीन में जहाँ साम्यवादी दल का शासन और समाजवादी व्यवस्था

लागू रहेगी, वहीं हांगकांग और मकाऊ को हस्तांतरण की तिथि से अगले 50 वर्षों तक अपनी पुरानी पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका (कॉमन लॉ सिस्टम), पृथक मुद्रा (HKD/MOP), और नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं बनाए रखने की गारंटी दी गई।

2. व्यावहारिक अनुप्रयोग: हांगकांग और मकाऊ

(क) हांगकांग (1997 हस्तांतरण)

हांगकांग 150 से अधिक वर्षों तक ब्रिटिश उपनिवेश रहा। 1 जुलाई 1997 को यूनाइटेड किंगडम ने हांगकांग की संप्रभुता चीन को सौंप दी। इसके लिए एक 'मिनी-संविधान'—बेसिक लॉ (Basic Law)—लागू किया गया, जिसमें 2047 तक हांगकांग की उच्च स्वायत्तता (High Degree of Autonomy) की गारंटी दी गई।

(ख) मकाऊ (1999 हस्तांतरण)

मकाऊ लगभग 440 वर्षों तक पुर्तगाल का उपनिवेश रहा। 20 दिसंबर 1999 को इसे चीन को सौंपा गया। मकाऊ में भी इसी मॉडल के तहत अपनी अलग कानूनी और कैसीनो-आधारित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनाए रखने की अनुमति दी गई।

3. अवधारणा का व्यावहारिक मूल्यांकन: सफलताएं और चुनौतियां

(क) सफलताएं

शांतिपूर्ण हस्तांतरण: बिना किसी सैन्य संघर्ष के दो महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों का चीन में विलय संभव हुआ।

आर्थिक समृद्धि की निरंतरता: हस्तांतरण के बाद भी हांगकांग और मकाऊ विश्व के प्रमुख वित्तीय और पर्यटन केंद्रों के रूप में फलते-फूलते रहे।

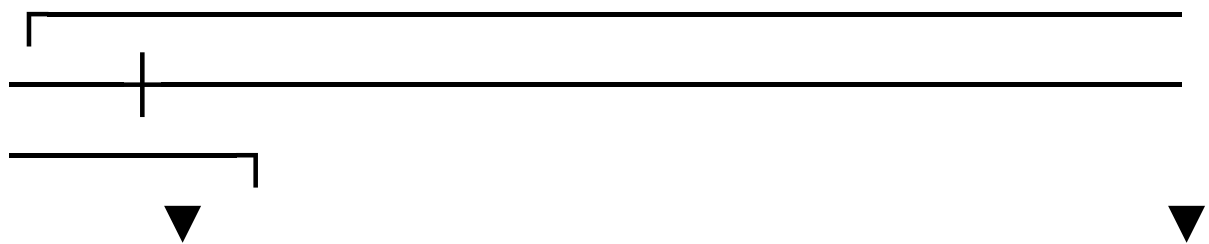
ताइवान के लिए एक मॉडल का प्रयास: चीन ने शुरू में इस मॉडल को ताइवान के साथ एकीकरण के लिए प्रस्तुत किया था।

(ख) चुनौतियां और हालिया तनाव (विशेषकर हांगकांग में) हाल के वर्षों में इस अवधारणा का "दो व्यवस्थाएं" वाला पक्ष कमजोर पड़ा है और "एक देश" वाले पक्ष पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है:

...

हांगकांग में 'दो व्यवस्थाओं' के क्षरण के मुख्य कारण

|



2014 का अम्ब्रेला मूवमेंट विरोध (पूर्ण लोकतंत्र की मांग) Protests)	2019 का प्रत्यर्पण कानून 2020 का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (Extradition Bill (National Security Law - NSL)
---	---

...

1. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (2020): 2019 के बड़े पैमाने पर लोकतंत्र समर्थकों के विरोध प्रदर्शनों के बाद बीजिंग ने हांगकांग के लिए कड़ा 'राष्ट्रीय सुरक्षा कानून' (NSL) लागू कर दिया। इसके तहत अलगाववाद, तोड़फोड़ और विदेशी मिलीभगत को गंभीर अपराध घोषित कर दिया गया, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक विरोध सीमित हो गया है।

2. electoral सुधार (2021): बीजिंग ने "केवल देशभक्त ही हांगकांग पर शासन करेंगे" का नियम लागू किया, जिससे केवल चीन-समर्थक उम्मीदवारों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिलती है।

निष्कर्ष

मूल रूप से "एक देश, दो व्यवस्था" की अवधारणा कूटनीतिक इतिहास का एक महान प्रयोग थी, जिसने 20 से अधिक वर्षों तक हांगकांग और मकाऊ को विशिष्ट पहचान दी। हालाँकि, वर्तमान परिदृश्य में बीजिंग द्वारा नियंत्रण बढ़ाए जाने से आलोचकों का मानना है कि यह व्यवस्था धीरे-धीरे "एक देश, एक व्यवस्था" की ओर बढ़ रही है।

47. स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

प्रस्तावना

स्विट्जरलैंड (Swiss Confederation) यूरोप के मध्य में स्थित एक छोटा लेकिन राजनीतिक रूप से अत्यंत अनूठा देश है। स्विट्जरलैंड का वर्तमान संविधान 18 अप्रैल 1999 को एक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह (Referendum) में जनता द्वारा स्वीकृत किया गया और 1 जनवरी 2000 से पूरी तरह

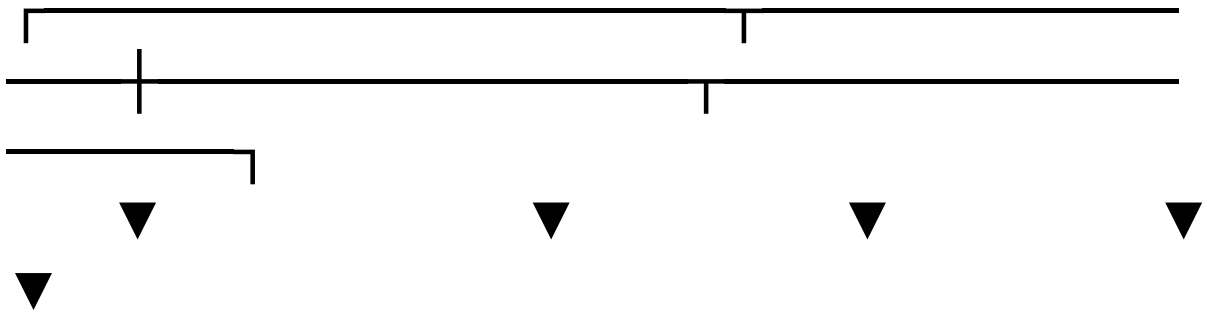
लागू हुआ (यद्यपि इसका मूल ढांचा 1848 के संविधान पर आधारित है)। स्विस् संविधान अपनी विशिष्ट प्रजातांत्रिक संस्थाओं के कारण विश्व भर में अध्ययन का केंद्र बना हुआ है।

स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं

...

स्विस संविधान की प्रमुख विशेषताएं

|



प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण बहुल कार्यपालिका सच्चा व कठोर संघवाद स्थाई तटस्थता लचीली व अनूठी (Referendum & Initiative)(Federal Council-7 सदस्य)(26 कैंटनों की स्वायत्तता)(Permanently Neutral) न्यायिक व्यवस्था

...

1. प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर (Home of Direct Democracy)

स्विस संविधान की सबसे महान विशेषता यह है कि यह नागरिकों को शासन में सीधे भाग लेने का अधिकार देता है।

जनता केवल प्रतिनिधि ही नहीं चुनती, बल्कि नीतियों पर सीधा फैसला करती है। इसके लिए दो मुख्य साधन हैं:

लोकनिर्णय / जनमत संग्रह (Referendum): संसद द्वारा पारित किसी भी कानून पर अंतिम मोहर लगाने या उसे रद्द करने का अधिकार जनता को प्राप्त है।

आरम्भक (Initiative): कम से कम 1,00,000 नागरिक हस्ताक्षर करके संविधान में संशोधन या नए कानून का प्रस्ताव सीधे संसद और देश के सामने रख सकते हैं।

2. अनूठी 'बहुल कार्यपालिका' (Plural Executive)
विश्व के अन्य देशों में कार्यपालिका का प्रमुख एक व्यक्ति (जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री) होता है। स्विस् संविधान के तहत कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों की एक समिति—जिसे 'संघीय परिषद' (Federal Council) कहा जाता है—में निहित है। इन सातों सदस्यों की शक्तियाँ और दर्जा बिल्कुल समान होता है। इनमें से एक सदस्य को एक वर्ष के लिए केवल औपचारिक राष्ट्रपति बनाया जाता है।

3. सच्चा और कठोर संघवाद (Real Federalism)
स्विट्जरलैंड 26 कैंटनों (Cantons - राज्यों) का एक संघ है। स्विस् संघवाद की अनूठी बात यह है कि कैंटन (राज्य) ऐतिहासिक रूप से केंद्र से भी पुराने हैं।

प्रत्येक कैंटन का अपना पृथक संविधान, विधायिका और अदालतें हैं।

जो शक्तियाँ स्पष्ट रूप से संघीय (केंद्र) सरकार को नहीं दी गई हैं, वे स्वतः कैंटनों के पास रहती हैं।

नागरिकों को तीन प्रकार की नागरिकता मिलती है—नगर पालिका की, कैंटन की और पूरे स्विस् संघ की।

4. स्थायी अंतरराष्ट्रीय तटस्थता (Permanent Neutrality)

स्विस संविधान देश की विदेश नीति का आधार 'स्थायी तटस्थता' को घोषित करता है। स्विट्जरलैंड किसी भी सैन्य संगठन (जैसे NATO) का हिस्सा नहीं बनता और न ही अंतरराष्ट्रीय युद्धों में भाग लेता है। यही कारण है कि जिनेवा कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों (जैसे UN, Red Cross) का मुख्यालय है।

5. द्विसदनीय विधायिका: संघीय संसद (Federal Assembly)

स्विस विधायिका को 'संघीय संसद' कहा जाता है, जिसके दो समान शक्तिशाली सदन हैं:

1. राष्ट्रीय परिषद (National Council): 200 सदस्य (जनसंख्या के आधार पर - जनता का प्रतिनिधित्व)।

2. राज्यों की परिषद (Council of States): 46 सदस्य (प्रत्येक कैंटन से 2 सदस्य - राज्यों का प्रतिनिधित्व)।

6. सीमित न्यायिक पुनरावलोकन

स्विस सर्वोच्च न्यायालय (Federal Supreme Court) कैंटनों (राज्यों) द्वारा बनाए गए कानूनों की तो संवैधानिक जांच कर सकता है, लेकिन वह संघीय संसद (केंद्रीय संसद) द्वारा बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित करके रद्द नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्विस व्यवस्था में संसद से भी ऊपर 'जनता' (प्रत्यक्ष लोकतंत्र) को सर्वोच्च माना गया है।

निष्कर्ष

स्विट्जरलैंड का संविधान विभिन्न भाषाई (जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, रोमंश) और धार्मिक समूहों वाले देश में शांति, राजनीतिक स्थिरता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का एक आदर्श उदाहरण है। यह साबित करता है कि जनता की सीधी भागीदारी से एक सफल और समृद्ध लोकतंत्र का संचालन कैसे किया जा सकता है।

48. स्विट्जरलैंड में "बहुल कार्यपालिका" (Plural Executive / Federal Council) के संगठन, शक्तियों और विशिष्ट कार्यप्रणाली की विवेचना कीजिए।

प्रस्तावना

राजनीति विज्ञान में कार्यपालिका के संगठन का सबसे अनूठा और विलक्षण उदाहरण स्विट्जरलैंड की 'बहुल कार्यपालिका' (Plural Executive) है। जहाँ अमेरिका में अध्यक्षतात्मक (एकल) कार्यपालिका है और ब्रिटेन में मंत्रिमंडलीय कार्यपालिका (जहाँ प्रधानमंत्री सर्वोच्च होता है), वहीं स्विट्जरलैंड ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जहाँ सर्वोच्च कार्यपालक शक्ति किसी एक व्यक्ति में नहीं, बल्कि 7 सदस्यों की एक परिषद में समान रूप से निहित होती है। इसे स्विस् संविधान में 'संघीय परिषद' (Federal Council) कहा जाता है।

1. संघीय परिषद (कार्यपालिका) का संगठन

सदस्य संख्या: संघीय परिषद में 7 सदस्य होते हैं।

चुनाव और कार्यकाल: इन सातों सदस्यों का चुनाव स्विस् संसद (Federal Assembly) के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा 4 वर्षों के लिए किया जाता है।

कोई पुनर्चुनाव की सीमा नहीं: सदस्य बार-बार चुने जा सकते हैं, और आमतौर पर वे कई वर्षों तक अपने पदों पर बने रहते हैं।

संघीय परिषद के 7 सदस्यों में से ही संसद द्वारा 1 वर्ष के लिए एक व्यक्ति को 'संघीय राष्ट्रपति' (President of the Confederation) और दूसरे को 'उपराष्ट्रपति' चुना जाता है।

1003



(विदेशी मेहमानों का स्वागत, बैठकों की अध्यक्षता)
(अन्य 6 पार्षदों से अधिक कोई वीटो या विशेष अधिकार नहीं)

...

स्विस राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की तरह शक्तिशाली नहीं होता। वह अन्य 6 सदस्यों का 'बॉस' नहीं होता, बल्कि वह "समकक्षों में प्रथम" (First Among Equals) होता है। उसके पास कोई विशेष वीटो पावर या मंत्रियों को हटाने का अधिकार नहीं होता।

3. बहुल कार्यपालिका की विशिष्ट कार्यप्रणाली

1. सामूहिक नेतृत्व और समानता (Collegiability): संघीय परिषद के सभी 7 सदस्यों की कानूनी शक्तियाँ और दर्जा बिल्कुल बराबर होता है। प्रत्येक सदस्य सरकार के 7 प्रमुख विभागों (जैसे गृह, विदेश, वित्त, न्याय, रक्षा आदि) में से एक का प्रमुख होता है।

2. संसदीय और अध्यक्षतात्मक व्यवस्था का सम्मिश्रण:

संसदीय लक्षण: इसका चुनाव संसद करती है और इसके सदस्य संसद की बैठकों में भाग लेते हैं और प्रश्नों के उत्तर देते हैं।

अध्यक्षात्मक लक्षण: संसद संघीय परिषद या उसके किसी सदस्य के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसे समय से पूर्व पद से नहीं हटा सकती।

3. पार्टी निष्ठा से ऊपर और राजनीतिक स्थिरता: संघीय परिषद में विभिन्न विरोधी राजनीतिक दलों के नेता एक साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ ब्रिटेन की तरह दलीय

खींचतान नहीं होती। यदि संसद संघीय परिषद के किसी विधेयक को अस्वीकार भी कर देती है, तो भी परिषद त्यागपत्र नहीं देती, बल्कि संसद की इच्छा के अनुसार विधेयक में संशोधन कर देती है।

4. बहुल कार्यपालिका की शक्तियाँ

कार्यपालक शक्तियाँ: देश में कानून लागू करना, राष्ट्रीय बजट तैयार करना, प्रशासनिक विभागों का संचालन करना और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना।

विधायी शक्तियाँ: संसद में प्रस्तुत होने वाले अधिकांश कानूनों का मसौदा (Bills) संघीय परिषद ही तैयार करती है।

सैन्य व कूटनीतिक शक्तियाँ: विदेश नीति का संचालन करना और देश की सीमाओं की रक्षा करना।

5. बहुल कार्यपालिका के लाभ

तानाशाही का अंत: चूंकि शक्ति 7 लोगों में बंटी होती है, इसलिए किसी एक व्यक्ति द्वारा तानाशाही स्थापित करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती।

राष्ट्रीय विविधता का समावेशन: भाषाई, धार्मिक और दलीय अल्पसंख्यकों को शासन के शीर्ष पर स्थायी प्रतिनिधित्व मिलता है।

अत्यधिक निरंतरता और स्थिरता: मंत्री सालों-साल अपने पदों पर बने रहते हैं, जिससे नीतियों में स्थिरता बनी रहती है।

निष्कर्ष

लास्की के शब्दों में, "स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका यह सिद्ध करती है कि सरकार चलाने के लिए किसी एक सर्वोच्च नेता या प्रधानमंत्री का होना अनिवार्य नहीं है।" यह

प्रणाली स्विस् समाज की शांति, विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों के पूरी तरह अनुकूल साबित हुई है।

49. "स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर है।" इस कथन की पुष्टि में वहां लागू लोकनिर्णय (Referendum) और आरम्भक (Initiative) की प्रक्रिया को समझाइए।

प्रस्तावना

आधुनिक विश्व के लगभग सभी देशों में 'अप्रत्यक्ष' या 'प्रतिनिधित्वमूलक लोकतंत्र' (Representative Democracy) पाया जाता है, जहाँ नागरिक चुनाव में वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वे प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ 'प्रत्यक्ष लोकतंत्र' (Direct Democracy) अपनी पूरी गरिमा के साथ आज भी जीवित है। इसीलिए स्विट्जरलैंड को "प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर" (Home of Direct Democracy) या "प्रजातंत्र की प्रयोगशाला" कहा जाता है।

1. स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन
यद्यपि स्विट्जरलैंड में एक चुनी हुई संसद (Federal Assembly) है, लेकिन अंतिम और सर्वोच्च कानूनी सत्ता जनता के हाथों में सुरक्षित है। जनता शासन को नियंत्रित करने के लिए मुख्यतः दो शक्तिशाली उपकरणों का प्रयोग करती है:

...

प्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो मुख्य स्तंभ

|

-
-
- ▼

▼
1. लोकनिर्णय / जनमत संग्रह (Referendum)
 2. आरम्भक (Initiative)
(संसद द्वारा पारित कानून पर जनता का 'वीटो')
(जनता द्वारा स्वयं नया कानून या संशोधन लाना)

...

2. लोकनिर्णय (Referendum) की प्रक्रिया
लोकनिर्णय का अर्थ है "संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को जनता की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना।" जब तक जनता मतदान के माध्यम से उसे मंजूरी नहीं देती, वह कानून लागू नहीं हो सकता। यह मुख्य रूप से संसद की शक्तियों पर जनता का वीटो (Veto) है।

स्विस संविधान में लोकनिर्णय दो प्रकार का होता है:

(क) अनिवार्य लोकनिर्णय (Compulsory Referendum)
संविधान में संशोधन करने वाले प्रत्येक विधेयक या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (जैसे UN) में शामिल होने से जुड़े प्रस्तावों पर अनिवार्य रूप से पूरे देश में जनमत संग्रह कराना कानूनी बाध्यता है। इसे लागू होने के लिए:

देश की जनता का बहुमत, तथा

कैंटनों (राज्यों) का बहुमत प्राप्त होना अनिवार्य है।

(घ) ऐच्छिक लोकनिर्णय (Optional Referendum)

संसद द्वारा बनाए गए सामान्य कानूनों के मामले में जनमत संग्रह कराना अनिवार्य नहीं होता, लेकिन यदि कानून पारित होने के 100 दिनों के भीतर:

50,000 नागरिक अपने हस्ताक्षरों से मांग करें, या

8 कैंटन (राज्य) इसकी मांग करें,

तो उस सामान्य कानून पर पूरे देश में मतदान कराना पड़ता है। यदि जनता का बहुमत उस कानून के खिलाफ वोट दे देता है, तो संसद का कानून रद्द हो जाता है।

3. आरम्भक (Initiative) की प्रक्रिया

जहाँ लोकनिर्णय संसद द्वारा बनाए गए बुरे कानूनों को 'रोकने' का नकारात्मक अधिकार है, वहीं 'आरम्भक' नागरिकों को स्वयं नया कानून बनाने या संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाने का 'सकारात्मक अधिकार' है।

प्रक्रिया: यदि स्विट्जरलैंड के कम से कम 1,00,000 नागरिक (18 महीने के भीतर) किसी नए कानून या संविधान संशोधन के मसौदे पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो संसद उस पर विचार करने के लिए बाध्य हो जाती है।

इसके बाद उस प्रस्ताव को पूरे देश में जनमत संग्रह के लिए रखा जाता है। यदि देश की जनता और अधिकांश कैंटन उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो वह नया कानून या संविधान संशोधन देश का कानून बन जाता है—चाहे संसद या सरकार उसके पक्ष में हो या न हो।

4. प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मूल्यांकन

लाभ

जनता में राजनीतिक जागरूकता: नागरिक देश के प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर सीधे विचार-विमर्श और मतदान करते हैं।

भ्रष्टाचार और तानाशाही पर रोक: नेता या संसद जनता की इच्छा के विरुद्ध कोई भी जनविरोधी कानून नहीं बना सकते।

राजनीतिक क्रांति की संभावना नहीं: असंतोष निकालने के लिए जनता के पास संवैधानिक रास्ते (Initiative) उपलब्ध हैं।

कमियां

अत्यधिक चुनाव और मतदान: नागरिकों को वर्ष में कई बार विभिन्न विषयों पर मतदान करने जाना पड़ता है, जिससे कई बार मतदाता उदासीनता (Voter Fatigue) पैदा होती है।

जटिलता: आम नागरिक हमेशा जटिल आर्थिक या विदेश नीति से जुड़े कानूनों की बारीकियों को समझने में सक्षम नहीं होते।

निष्कर्ष

तमाम व्यावहारिक सीमाओं के बावजूद, स्विट्जरलैंड में लोकनिर्णय और आरम्भिक की संस्थाओं ने "जनता की संप्रभुता" को कागजों से निकालकर धरातल पर सच साबित किया है। स्विट्जरलैंड यह दिखाता है कि एक जागरूक और अनुशासित समाज में लोकतंत्र अपने शुद्धतम रूप में कैसे काम कर सकता है।

50. स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक व्यवस्था (Administrative System) की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए।

प्रस्तावना

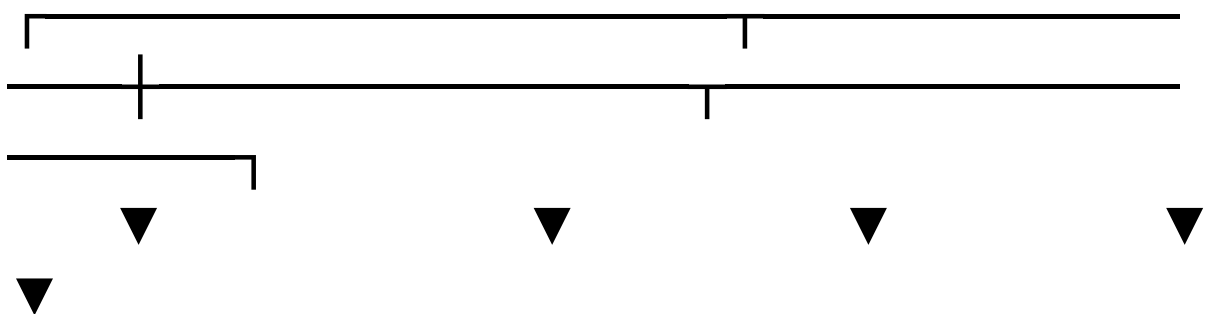
स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक व्यवस्था (Swiss Administrative System) अपनी कार्यकुशलता, गैर-राजनीतिक स्वरूप, उच्च पारदर्शिता और अत्यधिक विकेंद्रीकृत संघीय ढांचे के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। स्विस् प्रशासन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह विशाल नौकरशाही (Bureaucracy) का रूप धारण करने के स्थान पर आम नागरिकों की सीधी सहभागिता और कैंटन (राज्य) स्तर की स्वायत्तता पर आधारित है।

1. स्विस् प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं

...

स्विस् प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य आधार

|



अत्यधिक विकेंद्रीकरण 7 विभागों में विभाजन
गैर-राजनीतिक व निष्पक्ष कैंटनों द्वारा कार्यान्वयन
संसदीय व जन नियंत्रण

(Decentralization) (Seven Federal Depts)
लोकतंत्र (Professional) (Federal Enforcement)
(Referendum control)

...

1. अत्यधिक विकेंद्रीकृत ढांचा (Decentralized Structure)

स्विस प्रशासन तीन स्तरों पर बंटा हुआ है:

1. संघीय प्रशासन (Federal Administration): केंद्रीय स्तर।

2. कैंटन प्रशासन (Cantonal Administration): राज्य स्तर।

3. कम्यून / स्थानीय प्रशासन (Communes/Local Level): नगर पालिका स्तर।

प्रशासन की अधिकांश दैनिक शक्तियां (जैसे शिक्षा, पुलिस, स्थानीय कर, कल्याणकारी योजनाएं) कैंटन और कम्यून स्तर पर ही केंद्रित हैं। केंद्र सरकार केवल रक्षा, विदेश नीति और रेलवे जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों का प्रशासन संभालती है।

2. सात विभागों में सुव्यवस्थित विभाजन
संघीय स्तर पर संपूर्ण स्विस प्रशासन को केवल 7 विभागों (Seven Federal Departments) में बांटा गया है। प्रत्येक विभाग का प्रमुख 'संघीय परिषद' (Federal Council) का एक सदस्य होता है:

विदेश मामलों का विभाग

गृह मामलों का विभाग

न्याय व पुलिस विभाग

रक्षा व खेल विभाग

वित्त विभाग

आर्थिक मामले, शिक्षा व अनुसंधान विभाग

पर्यावरण, परिवहन, ऊर्जा व संचार विभाग

3. कैंटनों द्वारा संघीय कानूनों का कार्यान्वयन
(Administrative Federalism)

स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक व्यवस्था की एक बहुत अनूठी विशेषता यह है कि केंद्रीय (संघीय) सरकार के पास अपने कानूनों को लागू करने के लिए निचले स्तर पर कोई विशाल प्रशासनिक ढांचा नहीं होता। संघीय संसद द्वारा बनाए गए अधिकांश कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी कैंटनों के प्रशासनिक तंत्र पर छोड़ दी जाती है। इससे केंद्रीय नौकरशाही का आकार बहुत छोटा रहता है।

4. निष्पक्ष, पेशेवर और गैर-राजनीतिक नौकरशाही

स्विस लोक सेवक (Civil Servants) राजनीतिक रूप से तटस्थ होते हैं। अमेरिका की तरह यहाँ 'स्पॉइल्स सिस्टम' (Spoils System/राजनैतिक नियुक्तियाँ) नहीं है। कर्मचारियों की भर्ती केवल योग्यता, प्रतियोगी परीक्षाओं और तकनीकी दक्षता के आधार पर की जाती है। इसके अलावा, लोक सेवा में स्विट्जरलैंड के विभिन्न भाषाई समूहों (जर्मन, फ्रेंच, इटैलियन) का अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है।

5. प्रत्यक्ष नागरिक नियंत्रण और पारदर्शिता

स्विस प्रशासन बंद कमरों में काम करने वाली नौकरशाही नहीं है। 'लोकनिर्णय' और 'आरम्भक' के डर से प्रशासनिक

अधिकारी जनता की इच्छाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील और उत्तरदायी रहते हैं। स्थानीय स्तर पर बजट और प्रशासनिक परियोजनाओं को अक्सर नागरिकों की सभाओं (Landsgemeinde या स्थानीय वोट) से पास कराना अनिवार्य होता है।

2. स्विस् प्रशासनिक व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन

(क) सबल पक्ष (Strengths)

अत्यधिक कुशल और भ्रष्टाचार मुक्त: अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों में स्विस् प्रशासन को दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट और सबसे कुशल प्रशासनों में गिना जाता है।

कम खर्चीला प्रशासन: चूंकि केंद्रीय नौकरशाही का आकार छोटा है, इसलिए करदाताओं के पैसे का प्रशासनिक फिजूलखर्ची में हास नहीं होता।

जनता के प्रति उच्च जवाबदेही: विकेंद्रीकरण के कारण नागरिक अपनी स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए सीधे प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं।

(ख) दुर्बल पक्ष / कमियां (Weaknesses)

धीमी निर्णय प्रक्रिया: अत्यधिक विकेंद्रीकरण, कैंटनों की स्वायत्तता और बार-बार जनता से परामर्श (जनमत संग्रह) करने के कारण प्रशासनिक निर्णयों को लागू करने में बहुत अधिक समय लगता है।

एकरूपता का अभाव: प्रत्येक कैंटन के अपने अलग प्रशासनिक नियम, कर दरें और शिक्षा प्रणालियां हैं, जिससे एक कैंटन से दूसरे कैंटन जाने वाले नागरिकों को कई प्रशासनिक विसंगतियों का सामना करना पड़ता है।

राष्ट्रीय संकट के समय समन्वय की समस्या: आपातकाल या महामारी जैसी स्थितियों में 26 अलग-अलग कैंटनों के प्रशासनिक तंत्रों के बीच तालमेल बिठाना कई बार चुनौतीपूर्ण साबित होता है।

निष्कर्ष

तमाम सीमाओं के बावजूद, स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक व्यवस्था इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक विविध और बहुभाषी समाज में विकेंद्रीकरण, व्यावसायिक दक्षता और नागरिक सहभागिता के माध्यम से एक पारदर्शी और सफल शासन मॉडल खड़ा किया जा सकता है। यह व्यवस्था नौकरशाही की तानाशाही को रोककर लोक कल्याण को सर्वोपरि मानती है।